BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Ram Milan ...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors ...Respondent(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on Behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (Respondent No. 4) in compliance with the order dated 10.11.2025	1-7
2.	**ANNEXURE-R4/1** The copy of letter dated 01.07.2025	8-39
3.	**ANNEXURE-R4/2** The copy of letters dated 06.01.2026, 12.01.2026 and 13.01.2026	40-94

THROUGH

DATE: 23.01.2026
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 203 of 2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Ram Milan …..**Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors ……**Respondent(s)**

<u>RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (RESPONDENT NO.-04) IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 10.11.2025</u>

I, Imraan Ali aged about 46 years S/o Mr. Usman Ali R/o Mohalla-Qaboolpura, Tehsil-Sadar, District-Badaun, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Jhansi do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is working on the abovementioned post and being authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such I am competent to swear this affidavit.

2. That Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 27.05.2025 has passed the following directions:-

"…….5.In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be

NOTARY RAJESH DWIBEDI Advocate H.Q.-JHANSI Regn.No.47 GOVT. OF U.P. (INDIA)

constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the 4 grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

***6.** Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months*……."

3. That UPPCB (Respondent No.04) has filed a compliance report/Affidavit dated 15.07.2025 along with Joint Committee Inspection Report in pursuance to order dated 27.05.2025 passed by Hon'ble Tribunal in this matter.

4. *Thereafter* That Hon'ble Tribunal, vide its order dated 10.11.2025 has passed the following directions:

"…….**2.***Ms. Madhvi Kamal Vanshi, R.O., Banda has appeared through V.C. but other ROs have not appeared*……."

5. That in the present matter applicant has raised grievances regarding mining actives at night, irregular and illegal mining, use of heavy machinery and transportation of minerals via overloaded vehicles in Bundelkhand rivers such as Betwa, Ken, Dhasan etc. causing Environmental imbalance.

NOTARY
RAJESH DWIBEDI
Advocate
H.C. JHANSI
Regn.No. 47 (15)ff
GOVT. OF U.P. (INDIA)

6. That in compliance of the Hon'ble Tribunal order dated 27.05.2025 constituted Joint Committee visit concerned area on dated 01.07.2025. During the Joint Committee Inspection complainer/applicant submit written statement that he has no complain about the mining leases of District Jalaun and Jhansi or the Mining Department of the respected districts.
The copy of letter dated 01.07.2025 is attached herewith as **ANNEXURE-R4/1.**

7. That in addition to the above it is further submitted that in the jurisdiction of Regional Office, UPPCB, Jhansi, details of action taken against violators pertaining to Mining leases in District-Jhansi and Jalaun are as below.

S. No.	Project Proponent/Unit name & Address	Violation	Action taken	Remarks
1	M/s Chandra Pal Singh, Gata No.-314, Khand No.-01, (Area-4.575 Ha) Village-Manikpura, Tehsil-Moth, District-Jhansi.	336.0 Cubic Meter Illegal Mining of Sand found during inspection dated 27.06.2024	Show Cause Notice has been issued for Imposing Environmental Compensation of Rs. 4,53,600 (Four lakh fifty three thousand six hundred) vide letter dated 19.09.2024.	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
2	M/s Arpit Gupta S/o Shri Sunil Kumar Gupta, Gata 1396Ga, Khand 02, Village-Bhedikhurd,	1854.6 Cubic Meter Illegal Mining of Sand found during inspection	Show Cause Notice has been issued for Imposing Environmental Compensation of Rs.	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in

NOTARY RAJESH DWIVEDI Advocate H.C. JHANSI Regn.No.47(15)/F GOVT. OF U.P. (INDIA)

	Tehsil-Kalpi District-Jalaun.	dated 11.02.2024	39,00,852 (Thirty nine lakh eight hundred fifty two only) vide letter dated 16.10.2024.	the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
3	M/s Sukh Singh, Khand No.-861, 861/12 & 861/12MI, Village-Simiriya, Tehsil-Orai, District-Jalaun.	Illegal Mining of Sand found during various inspections dated 23.06.2023, 09/10.10.2023, 17.11.2023, 30.12.2023, 15.02.2024, 21.02.2024	Show Cause Notice has been issued for Imposing Environmental Compensation of Rs. 5,56,21,980 (Rs Five Crore Fifty Six Lakh Twenty One Thousand Nine Hundred Eighty only) vide letter dated 16.10.2024.	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
4	M/s Karan Singh Rajpoot, Gata No.-1064, Khand No.-1, Village-Kahta Hamirpur, Tehsil-Kalpi, District-Jalaun.	Illegal Mining of Sand found during various inspections dated 19.10.2023, 29.02.2024, 13.06.2024	Show Cause Notice has been issued for Imposing Environmental Compensation of Rs. 1,18,35,180 (Rs One Crore Eighteen Lakh thirty five thousand one hundred eighty only) vide letter dated 16.10.2024.	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
5	M/s Tara Enterprises, Pro. Charanjeet Kushwaha, Gata	Illegal Mining of Sand found during	Show Cause Notice has been issued for Imposing	Further proceeding are on hold in compliance of

NOTARY RAJESH DWIBEDI Advocate H.Q. JHANSI Regn.No.-47 (15)/F GOVT. OF U.P. (INDIA)

	No.-1396G, Khand No.- 4, Village-Bhedikhurd, Tehsil-Orai, District-Jalaun.	various inspections dated 13.06.2023, 11.02.2024	Environmental Compensation of Rs. 1,84,17,240 (Rs One crore eighty four lakh seventeen thousand two hundred forty only) vide letter dated 16.10.2024.	Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
6	M/s Vipin Kumar Saxena, Khand No.-1419Kh, Village-Dhamnaud, Tehsil-Garautha, District-Jhansi.	Illegal Mining of Sand	Imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,20,000 (Rs One Lakh twenty thousand only) vide letter dated 06.01.2025-.	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
7	M/s Subh Construction, Gata No.-321G, Village-Salemapur, Tehsil-Moth, District-Jhansi.	Without getting CTO production being Commenced	Imposition of Environmental Compensation of Rs. 64,80,000 (Rs Sixty Four Lakh Eighty Thousand only) vide letter dated 24.04.2025.	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated 04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
8	M/s Bharosa Sarkar Contractor and Suppliers, Gata No.-908, Block-02, Village-	Without getting CTO production being Commenced	Imposition of Environmental Compensation of Rs. 29,50,000 (Rs Twenty nine	Further proceeding are on hold in compliance of Supreme Court Order Dated

NOTARY RAJESH DWIVEDI Advocate JHANSI H.Q. Regn.No. 4795/11 GOVT. OF U.P. (INDIA)

	Kharwanch, District-Jhansi.		lakh fifty thousand only) vide letter dated 07.03.2025	04.08.2025 in the matter of Delhi Pollution Control Committee Vs Lodhi Property Co. Ltd. etc.
9	M/s Gawar Construction Limited, Khasra No.-432, Village-Bhua, Tehsil-Orai, District-Jalaun,285001	Illegal Mining of soil	Imposition of Environmental Compensation of Rs. 2.7699185 (Rs Two Crore Seventy six lakh ninety nine thousand one hundred eighty five only) vide letter dated 9.07.2025.	Imposed amount has been deposited in Board Account.

8. That Regional Officer, UPPCB, Jhansi asked information from District Mining Officer, Jhansi and Jalaun regarding compliance status of mining lease in District Jhansi and Jalaun vide letter no.-545/NGT/OA-203/2026, dated 06.01.2026. In continuations desired information is being forwarded respectively via letter no.-1234/30-mmc/2025-26 dated 12.01.2026 and letter no.-3070/Khanij-mmc-30 dated 13.01.2026.

   The copy of letters dated 06.01.2026, 12.01.2026 and 13.01.2026 is attached herewith as **ANNEXURE-R4/2.**

9. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

NOTARY RAJESH DWIVEDI Advocate JHANSI H.C. Regd.No. 47(15)IF GOVT. OF U.P. (INDIA)

Deponent

VERIFICATION

I, the deponent named above, do hereby verify that the content of paras 01 to 04 of this affidavit is true to my knowledge and paras 05 to 09 are true on the basis of records and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Jhansi on 22.th day of January, 2026.

Deponent

NOTARY ★ RAJESH DWIBEDI Advocate H.Q.-JHANSI Regn.No.47 (15)/F ★ GOVT. OF U.P. (INDIA)

Serial No. 335/26
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at .... by Shri/Smt./Kum. Imraan Ali to whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri ....
Received the legal fee Rs. 35.00 each

RAJESH DWIVEDI
ADVOCATE
NOTARY JHANSI DISTRICT
22/1/26

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 निम्नवत है :–

….."5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.
7. List on 16.07.2025 for further consideration."……

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2025 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निरीक्षण शिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2025 के कम में गठित समिति के नामित अधिकारी 1. श्री संदीप रॉय, वैज्ञानिक "घ", क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 2. श्री अशीष चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, भू–वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झॉसी 3. श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी, जनपद–हमीरपुर 4. श्री राज रंजन, खान अधिकारी, जनपद–बॉदा 5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉसी 6. डॉ0 माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा (नोडल) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को खनिज विभाग, हमीरपुर कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री राम मिलन के साथ बैठक एवं उनकी उपस्थिति में खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रुप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद–हमीरपुर व जनपद–बॉदा की जॉच शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी– ग्राम + पोस्ट मुस्करा, थाना–मुस्करा, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया, जॉच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमगन हो गये है तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन गढ़ढा परिलक्षित नहीं हो रहा है ओर न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिस ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुचने वाले रास्ते भी जलमगन हो गये है। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमित्ता की जाती है तो सम्बन्धित विभाग व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचित करेंगें।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के कम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

——2

1. जनपद–जालौन तथा जनपद–झॉसी के खनन पट्टो तथा जनपद–जालौन व झॉसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
2. जनपद–हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या–10/6, ग्राम–चण्डौत खण्ड संख्या–21/1 एवं ग्राम–इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ़ढो की शिकायत है।
3. उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई शिकायत नहीं है।''(साक्ष्य संलग्न)

निरीक्षण के समय के फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

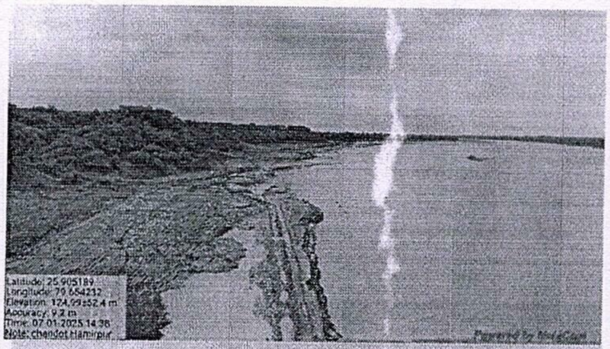

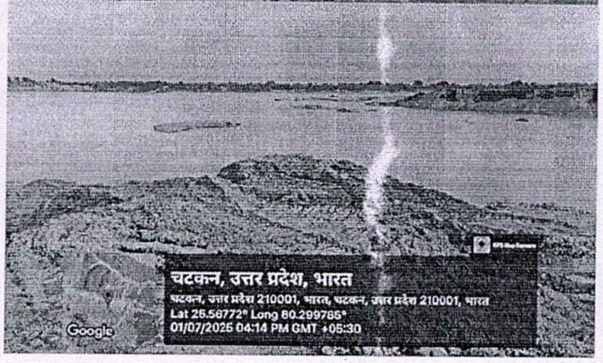

जनपद–हमीरपुर में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् हैः–

1. मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0–10/06, ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर।

- मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0–10/06, ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP191792 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 196097/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 23.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 23.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6– यह कि खनन पट्टा मे0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर–40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता–हाउस नं0–208 गली नं0–13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या–10/6 रकबा–36.437 हे0 क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा–5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक–09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक–24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–551/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2023–24) दिनांक–05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु0–11,14,470/–आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा

——3

तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1459 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–189 / खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–4,54,500 /– अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–236 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–15.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–17,10,000 /–आरोपित किया गया है।

- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या–एच18723 / सी–2 / सा0–668 / 24 दिनांक 16.10.2024 द्वारा रू0–1,04,96,250 /– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

3. मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, खण्ड नं0–25 / 17, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर।

- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25 / 17– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता–पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवार्ड नं0–13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25 / 17 रकबा–12.145 हे0 वार्षिक आकंलित मात्रा–1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1737 / खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2022–23) दिनांक–21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल / वायु निर्गत नहीं है।

4. मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0–25 / 18, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर।

- मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0–25 / 18, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP110127 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205700/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल / वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25 / 18– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी–9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25 / 18 रकबा–8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक–16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 15.06.2024 संयुक्त रुप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–382 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–16,38,000 /– आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक

——5

उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–233/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–23.07.2024 द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1418/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–26.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–5,00,000/– आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1816/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–10.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–5,96,700/–आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे–ब्रिज के माध्यम से दिनांक–09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0–1,52,74,484/– धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को इस कार्यालय के आदेश संख्या–141/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. <u>मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0–21/1, ग्राम–चण्डौत, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर</u>

- मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0–21/1, ग्राम–चण्डौत, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP115799 दिनांक 23.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 195179/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 29.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 रकबा–16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक– 09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–39/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–04.04.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–58,32,500/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–623/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–20.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक–15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–381/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–12,15,000/–आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–230/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2024–25) दिनांक–23.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाड़ा द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नही लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1226/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2024–25) दिनांक–26.11.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–51,02,640/–आरोपित किया गया।

——4

जांच में 06 Suction Pump Machine/Lefter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थानें की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या–101/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–19.04.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–30,00,000/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–276/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–28.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–197/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–2,70,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

<u>जनपद–बॉदा में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् हैः–</u>

1. **मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0–1971/1, ग्राम–गंछा, तहसील व जनपद–बॉदा।**

   - मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0–1971/1, ग्राम–गंछा, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5134183N दिनांक 08.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 223566/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.10.2024 से 31.12.2025 तक है।
   - यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम–मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–गंछा के गाटा सं0–1971/1 रकबा 24.71 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
   - प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3946/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,52,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,52,700/– चालान नं0–AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0–AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

2. **<u>मैसर्स मयूर बॉक्साईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0–3), ग्राम–पथरी, तहसील व जनपद–बॉदा।</u>**

   - मैसर्स मयूर बॉक्साईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0–3), ग्राम–पथरी, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP191707 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 204966/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 14.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
   - यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी पता–6 फ्लोर, डी0एन0–24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर–5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता–कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी–वार्ड नं0–14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,

——7

चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–1348/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–12.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–94,50,000/–आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या–1557/ खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–11.02.2025 को की गयीं जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–196/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–5,85,000/–अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

5. मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0–25/21, ग्राम–इछौरा जिटकरी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर।

- मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0–25/21, ग्राम–इछौरा जिटकरी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP180555 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 206013/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.04.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25/21– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भँवरकुँआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/21 रकबा–17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक–11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0–3,00,000/–आरोपित की गयी है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1458/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–1732/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 27.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–15,12,500/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1923/खनिज– एम0एम0सी–तीस– विविध (2024–25) दिनांक–28.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नही पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक–19.04.2025 को की गयी।

——6

"पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025/17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनंक 12.06.2025 को पेश हो।"

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं0–1011/खनिज–30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू0 3,28,66,875/– से से आंशिक धनराशि रू0 50,00,000/– विभिन्न चालानो के माध्यम से जमा किया गया है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–667/खनिज–30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,93,26,400/– से अवगत कराया गया।

3. **मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा0लि0, गाटा नं0–333/7, खण्ड नं0–5, ग्राम–मरौली खादर, तहसील व जनपद–बॉदा।**

- मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा0लि0, गाटा नं0–333/7, खण्ड नं0–5, ग्राम–मरौली खादर, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP162818 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 179001/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.04.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार डेस्कोन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी–128/189, के0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम–मरौलीखादर के गाटा सं0–333/7 का भाग (खण्ड सं0–05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3378/खनिज–30 बांदा दिनांक 16.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 54,19,000/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 54,19,000/– को चालान नं0–AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू0 25,00,000/– व चालान नं0–AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू0 29,19,000/– द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के

----9

आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–पथरी के गाटा सं0–72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0–03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3430/खनिज–30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 30,35,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 30,35,700/– चालान नं0–AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3985/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 19,49,850/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 19,49,850/– चालान नं0–AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4755/खनिज–30 बांदा दिनांक 07.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 61,69,050/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–170/खनिज–30 बांदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 61,69,050/– विभिन्न चालान नं0–AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू0 10,00,000/–, चालान नं0–AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू0 25,00,000/– व चालान नं0–AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू0 26,69,050/– द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5202/खनिज–30 बांदा दिनांक 18.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,28,66,875/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–299/खनिज–30 बांदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध मा0 न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के अपील सं0–742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

——8

- यह कि खनन विभाग, जनपद–बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निवासी–94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म0नं0–72 साई नगर फेस–2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम–मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0–58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3948/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 27,13,500/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 27,13,500/– चालान नं0–AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4569/खनिज–30 बांदा दिनांक 16.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 50,62,050/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–1323/खनिज–30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5238/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 1,55,68,650/– से अवगत कराया गया।

5. मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं0–पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं0–01, ग्राम–मरौली खादर, जनपद–बाँदा।

- मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं0–पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं0–01, ग्राम–मरौली खादर, जनपद–बाँदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP141265 दिनांक 29.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 209807/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बाँदा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी–14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–मरौलीखादर के गाटा सं0–333/7 का भाग (खण्ड सं0–01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

——11

नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3986/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 26,92,575/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 29,92,575/– को चालान नं0–AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4470/खनिज–30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,34,080/– से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4852/खनिज–30 बांदा दिनांक 17.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,35,000/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,35,000/– को चालान नं0–AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–183/खनिज–30 बांदा दिनांक 08.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 2,17,83,375/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–1310/खनिज–30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

4. **मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम–मडौली खुर्द खादर, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा।**

- मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम–मडौली खुर्द खादर, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5972290N दिनांक 15.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205059/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 15.03.2024 से 31.12.2025 तक है।

——10

गाटा सं0–62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3947/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 9,91,350/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 9,91,350/– चालान नं0–AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0–AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4382/खनिज–30 बांदा दिनांक 30.12.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,65,450/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 39,65,450/– चालान नं0–AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं0–AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं0–AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5240/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 18,70,200/– से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–28/खनिज–30 बांदा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 25,87,950/– से अवगत कराया गया।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव एवं उपचारात्मक कार्यवाही <u>निम्नवत् है:–</u>

1. खनन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक खनन पट्टों में खनन विभाग द्वारा जारी जियो को–आर्डिनेट के अनुसार पिलर की स्थापना किया जाये, साथ ही प्रत्येक पट्टाधारक के पास के0एम0एल0 फाईल उपलब्ध हो, जिससे की खनन के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की सम्भावना नगण्य हो।

——13

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3431/खनिज–30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 12,62,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 12,62,700/– चालान नं0–AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3984/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 20,98,800/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 20,98,800/– चालान नं0–AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4454/खनिज–30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,26,600/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,26,600/– को चालान नं0–AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू0 15,00,000/– व चालान नं0–AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू0 16,26,600/– द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–964/खनिज–30 बांदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,97,500/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,97,500/– चालान नं0–AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. <u>मैसर्स शुद्धतम इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0–62 व 63/1, ग्राम–खपटिहाकलां, तहसील पैलानी, जनपद बाँदा ।</u>

- Suddhatam Enterprises प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी–145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम–खपटिहाकलां के

——12

2. वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु टैंकर से जल का छिड़काव किया जाये एवं मौरम को गीला कर तिरपाल से ढक कर अवागमन हेतु प्रयोग किया जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में लॉग बुक मेन्टेन की जाये।
3. जनपद–हमीरपुर एवं बॉदा में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सघन वृक्षारोण किया जाये, जिसकी प्रगति आख्या एवं विवरण सम्बन्धित विभागो को फोटोग्राफ्स सहित प्रेषित किया जाये।
4. सी0ई0आर0 के मद में आवंटित धनराशि को पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही खर्च किया जाये।
5. जल धारा को अवरोधित किये बिना स्वीकृत खनन क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायें।
6. खनन क्षेत्र में अस्थाई (Bio-Toilet) को स्थापित कर प्रयोग किया जायें।
7. खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु कलर कोड के अनुसार डस्ट बिन स्थापित कर प्रयोग किया जाये एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम् से अपशिष्ट का निस्तारण किया जाये।
8. जनपद में संचालित खनन पट्टो की जांच समय–समय पर अथवा माह में कम से कम एक निरीक्षण अवश्य रूप से कर ली जाए।

डॉ0 माधवी कमलवंशी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

इमरान अली,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉसी

राज रंजन,
खान अधिकारी,
जनपद–बॉदा

राम पदारथ सिंह,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
जनपद–झांसी

जी0के0 दत्ता,
खान अधिकारी,
जनपद–जालौन

विकास सिंह परमार,
खान अधिकारी,
जनपद–हमीरपुर

अशीष चौधरी,
क्षेत्रीय अधिकारी,
भू–वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
झॉसी

संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ",
क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लख़नऊ

बयान

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक–01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ में मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

1– जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन पट्टों तथा जनपद जालौन व झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नही है।

2– जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या–10/6, ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या–21/1 एवं ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ्ढो की शिकायत है।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नही है।

रामभगत
कुरूकाय जि. हमीरपुर
7398605530
ता० 1-7/2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No. 1174777 / एनजी-2/NGT-662/24 दिनांक / Date 19-9-24

मैसर्स चन्द्र पाल सिंह,
गाटा सं0–314, खण्ड–01 (क्षेत्रफल–4.75 हे0)
ग्राम–मानिकपुरा, तहसील–मोठ,
जनपद–झांसी।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी के आदेश संख्या 512/30 एम0एम0सी0/2024–25 दिनांक 12.08.2024 द्वारा जनपद–झांसी के तहसील–मोठ स्थित ग्राम–मानिकपुरा के आराजी संख्या 314 (खण्ड–01) रकबा 4.750 हे0 क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम के खनन हेतु श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह निवासी–कृष्णा नगर कालोनी, खेरा गढ़ियागांव, तहसील व जनपद झांसी के पक्ष में 05 वर्ष (दिनांक 17.05.2023 से 16.05.2028) की अवधि हेतु स्वीकृत नीलामी पट्टे को निरस्त किया गया है।

यह कि आपकी खनन इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट Ref No. 193439/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO) /CTO/both/JHANSI/2023 dated 19/10/2023 को दिनांक 31.12.2027 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था।

यह कि खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट दिनांक 19.10.2023 में अधिरोपित शर्त संख्या 3 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से खनन पट्टा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मैसर्स चन्द्रपाल सिंह, गाटा सं0–314, खण्ड–01 (क्षेत्रफल–4.75 हे0), ग्राम–मानिकपुरा, तहसील–मोठ, जनपद–झांसी को बालू/मोरम खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट दिनांक 19.10.2023 को रिवोक किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 30.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मैसर्स चन्द्रपाल सिंह, गाटा सं0–314, खण्ड–01 (क्षेत्रफल–4.75 हे0), ग्राम–मानिकपुरा, तहसील–मोठ, जनपद–झांसी को खनन कार्य हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निर्गत सी0टी0ओ0 सर्टिफिकेट दिनांक 19.10.2023 को अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया गया है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–742/2024 Madan Sen S/o Jagdish Prasad Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"...... 2. Further plea of the applicant is that Respondent No. 5 is violating the EC conditions as also the provision of Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016. In support of the plea learned counsel for the applicant during course of the arguments has referred to the photographs filed from page 67 to page 73. He has also referred to the notice dated 10.01.2024 annexure A-6 sent by the District Magistrate, Jhansi mentioning above the violation of the Rules and also using the prohibited machinery and carrying out the illegal sand mining in the main stream of the river and proposing to impose the penalty for the same. He has also submitted that though the complaint in respect of the main stream mining, was made on 03.06.2024 Annexure A-8 but no action has been taken by the concerned Authorities till now............"

यह कि उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी के पत्र दिनांक 13.09.2024 द्वारा जिला खान अधिकारी, झांसी द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा, उसका बाजार मूल्य एवं लगाये गये जुर्माने का दिनांकवार विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में जिला खान अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 17.09.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि चन्द्रपाल सिंह, गाटा सं0–314, खण्ड–01 (क्षेत्रफल–4.75 हे0), ग्राम–मानिकपुरा, तहसील–मोठ, जनपद–झांसी के निरीक्षण दिनांक 27.06.2024 के दौरान खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 336 घन मीटर बालू/मोरम भण्डारित किया जाना पाया गया है, जिसका खनिज मूल्य रुपये 2,52,000/– है।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त किया
सत्येन्द्र 22-5-25
9956488817

(2)

यह कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Compensation=D x (1+RF+DF) के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 4,53,600/– आती है, जिसमें D (Market Value of Illegally Mined Material)=2,52,000/-, RF (Risk Factor)=0.5, DF (Deterrence Factor)=0.3 लिया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत अवैध खनन हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 4,53,600/– (रू0 चार लाख तिरपन हजार छः सौ मात्र) है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न आपकी इकाई के विरूद्ध राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये बिना ही खनन कार्य एवं अवैध खनन किये के फलस्वरूप रू0 4,53,600/– (रू0 चार लाख तिरपन हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 4,53,600/– (रू0 चार लाख तिरपन हजार छः सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त--2)

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. जिलाधिकारी, झांसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त--2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CO

संदर्भ सं० Ref. No ......H18729......./टी-2/ खा0-670/24 दिनॉक Date ....16/10/24...

मैसर्स अर्पित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता,
गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी,
जनपद–जालौन

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि आपकी खनन इकाई मैसर्स अर्पित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक 647/parya/SEIAA/5967-5603/2020 दिनांक 15.01.2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 184180/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JALAUN/2023 दिनांक 18.05.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 18.05.2023 से 31.12.2027 तक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–815/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 468/ओ0ए0 संख्या–815/24 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनन विभाग, जनपद–जालौन से अवैध खनन के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। जिसके अनुक्रम में खान अधिकारी, जनपद–जालौन के पत्रांक 1772/खनिज–एमएमसी–30 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनिज विभाग, जालौन द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

यह कि दिनांक 11.02.2024 को खान अधिकारी एवं खान निरीक्षक, जनपद–जालौन द्वारा गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसके अनुक्रम में खनन पट्टा धारक को अवैध खनन के सम्बन्ध में नोटिस पत्रांक 816/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 05.02.2024 प्रेषित किया गया है। खनन पट्टा धारक पर उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली–2021 के नियम 3 व 58 के प्राविधानों का उल्लघंन है **उक्त के अनुसार 1854.6 घन मी0 बालू/मौरम के लिये रायल्टी के मद में कुल रू0–21,67,140/– (रूपये इक्कीस लाख सरसठ हजार एक सौ चालीस मात्र) की देयता बनती है।**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0–815/2024 रमा शंकर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में मैसर्स अर्पित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन को खनिज विभाग, जालौन के पत्रांक–1264/खनिज –एम0एम0सी0–तीस दिनांक–29.05.2024 में अंकित अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

- दिनांक 16.01.2024 को अवैध खनन **1854.6** घन मी0 बालू/मौरम का बाजार मूल्य *रू0–21,67,140/–* **(रूपये इक्कीस लाख सरसठ हजार एक सौ चालीस मात्र)**

Environmental Compensation = D x (1+RF+DF)
= 2167140.00 x (1+0.5+0.3) = Rs. 39,00,852.00

मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Compensation=D x (1+RF+DF) के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 139,00,852.00/– आती है, जिसमें D(Market Value of Illegally Mined Material)= 5621000/-, RF (Risk Factor)=0.5, DF (Deterrence Factor)=0.3 लिया गया है। अवैध खनन हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 39,00,852.00 /– (रू0 उन्तालिस लाख आठ सौ बावन मात्र) है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 द्वारा गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन पर अवैध खनन हेतु रू0 39,00,852.00/– (रू0 उन्तालिस लाख आठ सौ बावन मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न खनन इकाई मैसर्स अर्पित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन द्वारा 1854.6 घन मी0 बालू/मौरम का अवैध खनन किये के कारण रू0 39,00,852.00/– (रू0 उन्तालिस लाख आठ सौ बावन मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 39,00,852.00/– (रू0 उन्तालिस लाख आठ सौ बावन मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No ....H18730/तकी-2/खा0-670/24 दिनॉक Date ...16/10/24...

मैसर्स श्री सुख सिंह,
खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई
जनपद–जालौन

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनाक 08.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि आपकी खनन इकाई मैसर्स श्री सुख सिंह, खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP134582 दिनांक 02.06.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। उद्योग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जल/वायु अधिनियमान्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–815/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 468/ओ0ए0 संख्या–815/24 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनन विभाग, जनपद–जालौन से अवैध खनन के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। जिसके अनुक्रम में खान अधिकारी, जनपद–जालौन के पत्रांक 1772/खनिज–एमएमसी–30 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनिज विभाग, जालौन द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

यह कि दिनांक 23.06.2023 को खान अधिकारी व खान निरीक्षक जालौन, दिनांक 9–10.10.2023 को खान अधिकारी व खान निरीक्षक जालौन, दिनांक 17.11.2023 को उपजिलाधिकारी कालपी व खान अधिकारी जालौन, दिनांक 30.12.2023 को निदेशालय द्वारा गठित जांच दल, दिनांक 15.02.2024 को उपजिलाधिकारी उरई की संयुक्त टीम, दिनांक 21.02.2024 उपजिलाधिकारी उरई की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण गाटा खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसके अनुक्रम में खनन पट्टा धारक को अवैध खनन के सम्बन्ध में नोटिस पत्रांक 217 दिनांक 05.07.2023, पत्रांक 469 दिनांक 16.10.2023, पत्रांक 552/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 23.11.2023, पत्रांक 743/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 18.01.2024, पत्रांक 865/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 19.02.2024, एवं पत्रांक 886/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 22.02.2022 प्रेषित किया गया है। खनन पट्टा धारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली–2021 प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है उक्त के अनुसार बालू/मौरम के अवैध खनन के लिये अधिरोपित धनराशि मद में कमशः रू0–35,75,300/–, रू0–56,21,000/–, रू0–62,15,000/–, रू0–1,23,96,600/–, रू0–6,87,000/– व रू0–24,06,200/–कुल रूपये–3,09,01,100.00 (रूपये तीन करोड़ नौ लाख एक हजार एक सौ मात्र) की देयता बनती है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0–815/2024 रमा शंकर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में मैसर्स श्री सुख सिंह, खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन पर खनिज विभाग, जालौन द्वारा अवैध खनन के लिये अधिरोपित धनराशि पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

- बालू/मौरम का बाजार मूल्य 3,09,01,100.00 (रूपये तीन करोड़ नौ लाख एक हजार एक सौ मात्र)
  Environmental Compensation = D x (1+RF+DF)
  = 3,09,01,100.00 x (1+0.5+0.3) = Rs. 5,56,21,980.00

मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Compensation=D x (1+RF+DF) के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 5,56,21,980/– आती है, जिसमें D(Market Value of Illegally Mined Material)= 3,09,01,100/-, RF (Risk Factor)=0.5, DF (Deterrence Factor)=0.3 लिया गया है। अवैध खनन हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 5,56,21,980/– (रू0 पांच करोड़ छप्पन लाख इक्कीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) है।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी की आख्यानुसार मैसर्स श्री सुख सिंह, खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये खनन का कार्य किया गया है, आपकी इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 के आज्ञापक प्रविधानों का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Penalty=PI x N x R x S x LF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 6250/– प्रतिदिन आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=50, R (Penalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)= 1 for Population between 1 to 5 million लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 द्वारा खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन पर अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 5,56,21,980/– (रू0 पांच करौड़ छप्पन लाख इक्कीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न खनन इकाई मैसर्स श्री सुख सिंह, खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन द्वारा बालू/मौरम का अवैध खनन किये के कारण रू0 5,56,21,980/– (रू0 पांच करौड़ छप्पन लाख इक्कीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।
2. यह कि क्यों न खनन इकाई मैसर्स श्री सुख सिंह, खण्ड नं0–861, 861/12 व 861/12मि, ग्राम–सिमरिया, तहसील–उरई जनपद–जालौन द्वारा राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण उल्लंघन अवधि हेतु प्रतिदिन रू0 6250/– की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में इकाई के विरूद्ध उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

संलग्नक–यथोपरि।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H18729.......|सी-2|सा0-670|24

दिनाँक
Date ....16|10|24....

मैसर्स श्री करन सिंह राजपूत,
गाटा संख्या–1064, खण्ड संख्या–1, ग्राम–कहटाहमीरपुर, तहसील–कालपी,
जनपद–जालौन

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि आपकी खनन इकाई मैसर्स श्री करन सिंह राजपूत, गाटा संख्या–1064, खण्ड संख्या–1, ग्राम–कहटाहमीरपुर, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC21B001UP161863 दिनांक 08.12.2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 172366/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JALAUN/2022 दिनांक 02.01.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 02.01.2023 से 31.12.2026 तक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–815/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 468/ओ0ए0 संख्या–815/24 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनन विभाग, जनपद–जालौन से अवैध खनन के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। जिसके अनुक्रम में खान अधिकारी, जनपद–जालौन के पत्रांक 1772/खनिज–एमएमसी–30 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनिज विभाग, जालौन द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

यह कि दिनांक 19.10.2023 को निदेशालय द्वारा गठित टीम द्वारा, दिनांक 29.02.2024 को उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी कालपी व खान निरीक्षक, जनपद–जालौन एवं दिनांक 13.06.2024 को नायाब तहसीलदार कालपी व खान निरीक्षक जालौन, द्वारा निरीक्षण गाटा संख्या–1064, खण्ड संख्या–1, ग्राम–कहटाहमीरपुर, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसके अनुक्रम में खनन पट्टा धारक को अवैध खनन के सम्बन्ध में नोटिस पत्रांक 820/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 05.02.2024, पत्रांक 972/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 11.03.2024 एवं पत्रांक 1344 दिनांक 19.06.2024, प्रेषित किया गया है। खनन पट्टा धारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली–2021 प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है उक्त के अनुसार बालू/मौरम के अवैध खनन के लिये अधिरोपित धनराशि मद में क्रमशः रू0–30,32,600/–, रू0–10,31,000/– व रू0–25,11,500/– कुल रूपये–65,75,100/– (रूपये पैंसठ लाख पिचत्तर हजार एक सौ मात्र) की देयता बनती है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0–815/2024 रमा शंकर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में श्री करन सिंह राजपूत, गाटा संख्या–1064, खण्ड संख्या–1, ग्राम–कहटाहमीरपुर, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन पर खनिज विभाग, जालौन द्वारा अवैध खनन के लिये अधिरोपित धनराशि पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

- बालू/मौरम का बाजार मूल्य 65,75,100/– (रूपये पैंसठ लाख पिचत्तर हजार एक सौ मात्र)
  Environmental Compensation = D x (1+RF+DF)
  = 65,75,100.00 x (1+0.5+0.3) = Rs. 1,18,35,180.00

मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Compensation=D x (1+RF+DF) के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1,18,35,180/– आती है, जिसमें D(Market Value of Illegally Mined Material)= 65,75,100/-, RF (Risk Factor)=0.5, DF (Deterrence Factor)=0.3 लिया गया है। अवैध खनन हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 1,18,35,180/– (रू0 एक करौड़ अठारह लाख पैंतीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 द्वारा गाटा संख्या–1064, खण्ड संख्या–1, ग्राम–कहटा हमीरपुर, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन पर अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,18,35,180/– (रू0 एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न खनन इकाई मैसर्स अर्पित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–2, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन द्वारा बालू/मौरम का अवैध खनन किये के कारण रू0 1,18,35,180/– (रू0 एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 1,18,35,180/– (रू0 एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार एक सौ अस्सी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

संलग्नक–यथोपरि।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No ...H18731.....\सी-2\आ0-670\24

दिनाँक
Date ....16\10\24...

मैसर्स तारा इन्टरप्राइजेस प्रो0 चरनजीत कुशवाहा,
गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–4, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–उरई
जनपद–जालौन

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि आपकी खनन इकाई मैसर्स तारा इन्टरप्राइजेस प्रो0 चरनजीत कुशवाहा, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–4, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–उरई जनपद–जालौन को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक 18/Parya/SEIAA/4237/2022 दिनांक 28.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 183979/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JALAUN/2023 दिनांक 17.06.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 17.06.2023 से 31.12.2024 तक है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–815/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 468/ओ0ए0 संख्या–815/24 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनन विभाग, जनपद–जालौन से अवैध खनन के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। जिसके अनुक्रम में खान अधिकारी, जनपद–जालौन के पत्रांक 1772/खनिज–एमएमसी–30 दिनांक 07.10.2024 द्वारा खनिज विभाग, जालौन द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है।

दिनांक 13.06.2023 को खान अधिकारी व खान निरीक्षक जालौन, दिनांक 11.02.2024 को खान अधिकारी व खान निरीक्षक जालौन द्वारा निरीक्षण गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–4, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–उरई जनपद–जालौन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसके अनुक्रम में खनन पट्टा धारक को अवैध खनन के सम्बन्ध में नोटिस पत्रांक 471 दिनांक 18.10.2023, पत्रांक 817/खनिज–एम0एम0सी0–30 दिनांक 05.02.2024, पत्रांक 869/खनिज एम0एम0सी0–30 दिनांक 19.02.2024 प्रेषित किया गया है। खनन पट्टा धारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली–2021 प्राविधानों का उल्लघंन किया गया है उक्त के अनुसार बालू/मौरम के अवैध खनन के लिये अधिरोपित धनराशि मद में कमशः रू0–28,32,800/–, रू0–42,80,900/–, रू0–31,18,100/–, कुल रूपये–1,02,31,800.00 (रूपये एक करोड़ दो लाख इक्कतीस हजार एक सौ मात्र) की देयता बनती है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0–815/2024 रमा शंकर बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में मैसर्स तारा इन्टरप्राइजेस प्रो0 चरनजीत कुशवाहा, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–4, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–उरई जनपद–जालौन पर खनिज विभाग, जालौन द्वारा अवैध खनन के लिये अधिरोपित धनराशि पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

- बालू/मौरम का बाजार मूल्य 1,02,31,800.00 (रूपये एक करोड़ दो लाख इक्कतीस हजार एक सौ मात्र)
  Environmental Compensation = D x (1+RF+DF)

  = 1,02,31,800.00 x (1+0.5+0.3) = Rs. 1,84,17,240.00

मा0 एनजीटी, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में अवैध खनन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Compensation=D x (1+RF+DF) के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1,02,31,800/– आती है, जिसमें D(Market Value of Illegally Mined Material)= 3,09,01,100/-, RF (Risk Factor)=0.5, DF (Deterrence Factor)=0.3 लिया गया है। अवैध खनन हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति यथा रू0 1,84,17,240/– (रू0 एक करौड़ चौरासी लाख सत्तरह हजार दो सौ चालीस मात्र) है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.10.2024 द्वारा गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–4, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–उरई जनपद–जालौन पर अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,84,17,240/– (रू0 एक करौड़ चौरासी लाख सत्तरह हजार दो सौ चालीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न खनन इकाई मैसर्स तारा इन्टरप्राइजेस प्रो0 चरनजीत कुशवाहा, गाटा संख्या–1396ग, खण्ड संख्या–4, ग्राम–भेडीखुर्द, तहसील–उरई जनपद–जालौन द्वारा बालू/मौरम का अवैध खनन किये के कारण रू0 1,84,17,240/– (रू0 एक करौड़ चौरासी लाख सत्तरह हजार दो सौ चालीस मात्र)की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध रू0 1,84,17,240/– (रू0 एक करौड़ चौरासी लाख सत्तरह हजार दो सौ चालीस मात्र)की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

संलग्नक–यथोपरि।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–2)

1081/8
05-02-25

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No 1/22251 / सी-2/NGT-S-57/ भ्राती/25 दिनांक / Date 6-7-25

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना,
खण्ड संख्या–1419ख, ग्राम–घमनौड, तहसील–गरौठा,
जनपद–झांसी।

विषय– मेसर्स विपिन कुमार सक्सेन, खण्ड संख्या–1419ख, ग्राम–घमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

परियोजना मेसर्स विपिन कुमार सक्सेन, खण्ड संख्या–1419ख, ग्राम–घमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 19899/सी–2/वायु–557/2024 दिनांक 19.11.2024 के द्वारा दिनांक 19.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 तक के मध्य की अवधि अर्थात् 12 दिन एवं दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 10.10.2024 तक के मध्य की अवधि अर्थात् 10 दिन कुल 22 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2,20,000/– (रू0 दो लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

तत्पश्चात् इकाई द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रेषित प्रत्यावेदन के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12.2024 द्वारा जिला खान अधिकारी, झांसी से वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में आख्या चाहीं गयी।

जिला खान अधिकारी, झांसी के पत्र 974/30एम0एम0सी0/2024–25 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित है कि परियोजना द्वारा दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 10.10.2024 तक उपखनिज के परिवहन हेतु कोई ई–एम0एम0 11 (परिवहन पास) जनित नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झाँसी के पत्र दि0 21.12.2024 द्वारा परियोजना के विरूद्ध दिनांक 19.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 के मध्य कुल 12 दिवस के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 1,20,000/– (रू0 एक लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, झाँसी के पत्र दिनांक 21.12.2024 द्वारा परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स विपिन कुमार सक्सेन, खण्ड संख्या–1419ख, ग्राम–घमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी पर रू0 1,20,000/– (रू0 एक लाख बीस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

Athilesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

प्राप्त किया
08/07/2025

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

BMW

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

59
05/05/25

पत्र सं0
Ref. No 127360 /सी-2/वायु-558/25

दिनांक
Date 24-4-25

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन,
गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ,
जनपद–झांसी।

विषय– मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह कि मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी द्वारा किये गये अवैध खनन सम्बन्धी शिकायती प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0–1126/2024 (आई0ए0 संख्या–419/2024) "वीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य" के रूप में विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में संयुक्त समिति का गठन कर फैक्चुअल रिर्पोट एवं एक्शन टेंकन रिपोर्ट दाखिल किये जाने के निर्देश पारित किये गये। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.12.2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखों से संज्ञान में आया कि परियोजना द्वारा दिनांक 16.01.2021 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है, जबकि परियोजना को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति दिनांक 05.02.2024 से प्राप्त है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में परियोजना राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित रहीं।

यह कि तत्क्रम में उक्त परियोजना द्वारा दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अवधि में कितने दिनों खनन कार्य किया गया है अर्थात् उक्त अवधि में परियोजना कितने दिनों संचालित रही है, से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–775/ओ0ए0–1126/एन0जी0टी0/25 दिनांक 13.02.2025 द्वारा जिला खान अधिकारी, झांसी को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में जिला खान अधिकारी, झांसी के पत्रांक 1187/3एम0एम0सी0/2024–25 दिनांक 13.02.2025 एवं राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये दिनांक 16.01.2021 से दिनांक 04.02.2024 के मध्य की अविध में 648 दिनों तक खनन कार्य किया गया है।

यह कि इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों मे निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 24466/सी–2/वायु–558/झांसी/25 दिनांक 21.02.2025 द्वारा 648 दिवस के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 64,80,000/– रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

यह कि उक्त जारी कारण बताओ नोटिस को क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री संजय को दिनांक 25.02.2025 को मैनुअली प्राप्त करा दिया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.02.2025 का प्रति उत्तर इकाई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 12.03.2025 को प्राप्त हुआ है।

इकाई को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने विषयगत क्षेत्र के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति दिनांक 06.01.2021 को निर्गत की है, जिसमें उल्लिखित है:–

"The above stipulated condition will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter."

आपके खनन पट्टे को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक नं0 602/Parya/SEIAA/5915-5489/2020 दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से निर्गत पर्यावरणीय अनपत्ति के अनुक्रम में खनन पट्टे हेतु राज्य बोर्ड से जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य था, किन्तु आप द्वारा उक्त के अनुपालन में राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आप द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 12.03.2025 बलहीन/असंतोषजनक होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दि0 26.03.2025 द्वारा खनन परियोजना के विरूद्ध 648 संचालन दिवस हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 64,80,000/– रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.01.2025 द्वारा परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन, गाटा नं0–321ग, ग्राम–सलेमापुर, तहसील–मोंठ, जनपद–झांसी पर रू0 64,80,000/– रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

Atulesh yadav.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दर्भ सं0 Ref. No H25300/C-2/NGT/ला-905/झांसी/2024 दिनांक Date 07/03/2025

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स भरोसा सरकार कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर,
गाटा नं0–908, ब्लाक नं0–02, ग्राम–खरवाच, तहसील–गरौठा,
जनपद–झांसी।

विषय-- मैसर्स भरोसा सरकार कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, गाटा नं0–908, ब्लाक नं0–02, ग्राम–खरवाच, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इकाई मैसर्स भरोसा सरकार कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, गाटा नं0–908, ब्लाक नं0–02, ग्राम–खरवाच, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी (जिसे आगे इकाई कहा जायेगा) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों एवं राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना खनन कार्य किये जाने के कारण इकाई के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच22668/सी–2/एन0जी0टी0–905/ झांसी/25 दिनांक 13.01.2025 द्वारा 295 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 रू0 29,50,000/– (रूपये उनतीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उक्त जारी कारण बताओ नोटिस को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार को दिनांक 11.02.2025 को मैनुअली प्राप्त करा दिया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.01.2025 के संबंध में परियोजना का प्रतिउत्तर दिनांक 01.03.2025 को प्राप्त कराया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि पट्टा संचालन के समय न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा और न ही खनिज विभाग द्वारा ऐसी किसी प्रकार की एन0ओ0सी0/सी0टी0ओ0 प्रदूषण विभाग से प्राप्त करने की सूचना दी गयी थी। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत खनन परियोजनाओं को स्थापनार्थ सहमति एवं संचालनार्थ सहमति राज्य बोर्ड से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार इकाई का उक्त प्रतिउत्तर दिनांक 01.03.2025 संतोषजनक नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र Penalty=PI x N x R x S x LF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 10,000/– प्रतिदिन आती है। जिसमें PI=Pollution Index)=80, R (Penalty in Rs)= 250, S (Factor for scale of operation, Medium)=0.5, LF (Location factor)=1.0 लिया गया है।

इकाई मैसर्स भरोसा सरकार कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, गाटा नं0–908, ब्लाक नं0–02, ग्राम–खरवाच, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी द्वारा किये गये अवैध खनन सम्बन्धी शिकायती प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या–1025/2024 के रूप में विचाराधीन है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त वाद में संयुक्त समिति का गठन कर फैक्चुअल रिर्पोट एवं एक्शन टेकन रिर्पोट दाखिल किये जाने के आदेश पारित किये गये है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.12.2024 को किया गया।

स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखों से संज्ञान में आया कि इकाई द्वारा दिनांक 06.12.2021 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है, जबकि इकाई को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति दिनांक 19.04.2023 से प्राप्त है। इस प्रकार परिलक्षित होता है कि दिनांक 06.12.2021 से दिनांक 18.04.2023 के मध्य की अवधि में इकाई राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये संचालित रही है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दि0 27.02.2025 एवं 06.03.2025 द्वारा उक्त इकाई मैसर्स भरोसा सरकार कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, गाटा नं0–908, ब्लाक नं0–02, ग्राम–खरवाच, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 13.01.2025 द्वारा 295 संचालन दिवस हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 29,50,000/– (रूपये उनतीस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

........2.......

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

05-162-253357

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 27.02.2025 एवं 06.03.2025 द्वारा इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स भरोसा सरकार कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, गाटा नं0–908, ब्लाक नं0–02, ग्राम–खरवाच, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी पर रू0 29,50,000/– (रूपये उनतीस लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

Atulesh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

282
26/07/25

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 H30006 /सी-2/ NGT- 684/25 दिनांक 9-7-25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड,
एस0एफ0-1, जे0एम0डी0 गलेरिया, सेक्टर-48, सोहना रोड,
गुरूगॉव-122001 (हरियाणा)।

विषय- मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड,एस0एफ0-1, जे0एम0डी0 गलेरिया, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूगॉव-122001 (हरियाणा) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह कि परियोजना मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड, एस0एफ0-1, जे0एम0डी0 गलेरिया, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूगॉव द्वारा 32 स्थलो पर 1188483 घनमीटर साधारण मिट्टी का अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप परियोजना के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24157/सी-2/एन0जी0टी0-684/25 दिनांक 12.06.2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"......6. We further state that this matter has already been settled/compounded in terms of letter dated 29.11.2024 (by GCL) whereby GCL categorically denied any wrongdoing and clarified that it did not wish to prolong the matter. Hence, without any admission of wrongdoing by GCL, GCL requested that the matter may be compounded and the levy (if any) may be charged on the sub-contractor, who was on site at the time. Vide letter dated 04.12.2024, the Ld. District Mining Officer, Jalaun accepted the said request and imposed a levy of INR 1,29,50,000/-. This amount was duly paid by the sub-contractor on 09.12.2024 and a letter of the same date was sent to Ld. District Mining Officer, Jalaun informing him of this position.

7. Hence, imposition of Environmental Compensation for excessive mining by the referenced Notice (for which compounding order has been issued by the respective Mining Officer, Jalaun), is without any basis and ought to be withdrawn, since the issue has already been put to rest. It bears repetition that apart from assumptions and allegations, there is neither any material on record from the contemporaneous time, nor any adjudication which finds any illegal or excessive mining by GCL. Moreover, for argument's sake, if an excess quantity of earth has been extracted by our Sub-Contractor, the Mining Department has already compounded the matter, and the compounded amount of ₹1,29,50,000/- The said amount has been deposited by our

Sub-Contractor with the Mining Department......."

उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आप द्वारा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23.11.2019 में मिट्टी खनन हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक मिट्टी खनन का कार्य किया गया है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 30.05.2025 बलहीन एवं असंतोषजनक होने के कारण निस्तारित किया जाता है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 556/2024 (अरूण तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश) में आच्छादित परियोजना मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड, एस0एफ0-1, जे0एम0डी0 गलेरिया, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूगॉव-122001 (हरियाणा)के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक CM-13011/10/2024-LAW-HO-CPCB-HO-CPCB-HO/5802 दिनांक 28.10.2020 द्वारा राज्य बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-18(1)(बी) के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किय गयेः-

ii. to initiate actions immediately for appropriate punitive action as applicable under the law, including levying and realization of environmental compensation, for violation of provisions of environmental laws as mentioned in above paragraphs, after duly following the principle of natural justice;

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 556/2023 अरूण तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.03.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः-

".....It has been pointed out that EC of Rs- 1,34,25,000/- was imposed upon the Project Proponent - Respondent no. 6 by order dated 10-03-2025 by the UP PCB (Page 2047) but it could not be demonstrated that while calculating the EC the extent of illegal mining by the Respondent No. 6 was taken into account. Learned counsel for the UPPCB submits that this issue will be duly considered by the UPPCB and a fresh report will be filed before the Tribunal within two weeks........"

यह कि अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.04.2025 में मानक अनुसूची दर के अन्तर्गत साधारण मृदा का मूल्य रू0 12 प्रति घनमीटर निर्धारित किया गया है जिसमें कॉर्टेज, लोडिंग, आनलोडिंग एवं स्टैकिंग चार्जेस भी सम्मिलित है, किन्तु उक्त चार्जेस को पृथक-पृथक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि अनु सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-11, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से जनपद चन्दौली-धरौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) दो लेन मार्ग पर गेट निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य की वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी है। उक्त कार्य के एनालिसिस ऑफ रेट के अन्तर्गत Compensation for Earth taken from Private Land हेतु साधारण मृदा दर रूपया 7.00 प्रति घन मीटर निर्धारित है। तदानुसार साधारण मृदा का मूल्य रू0 7.00 प्रति घनमीटर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड, दिल्ली द्वारा अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध मे तैयार की गयी मार्गदर्शिका दिनांक-29.01.2020 शीर्षक

Recommendations on Scale of Compensation to deal with the cases of illegal sand mining के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2.7699185 करोड़ आंकलित होती है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2025 एवं 08.07.2025 के माध्यम से परियोजना मैसर्स गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड, एस0एफ0-1, जे0एम0डी0 गलेरिया, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूगॉव द्वारा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23.11.2019 में मिट्टी खनन हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक मिट्टी खनन का कार्य किये जाने के फलस्वरूप आपके विरूद्ध रू0 2.7699185 करोड़ (रू0 दो करोड़ छिहत्तर लाख निन्नानवे हजार एक सौ पचासी मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी द्वारा प्रेषित संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.06.2025 की पुष्टि करते हुए परियोजना मैसर्स गावर कन्सट्रक्शन लिमिटेड, एस0एफ0-1, जे0एम0डी0 गलेरिया, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुरूगॉव के विरूद्ध एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23.11.2019 में मिट्टी खनन हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक मिट्टी खनन का कार्य किये जाने के फलस्वरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धरराशि रू0 2.7699185 करोड़ (रू0 दो करोड़ छिहत्तर लाख निन्नानवे हजार एक सौ पचासी मात्र) अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Air Pollution
EC imposed in Compliance-NGT Order

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

Digitally signed by
ATULESH YADAV
Date: 09.07.2025
15:15:02

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राज्स्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

Annexure-R4/2

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 / Ref. No. 545/NGT/OA-203/26

दिनांक / Date 06.01.2026

सेवा मे,

1. जिला खान अधिकारी,
   झांसी।
2. जिला खान अधिकारी,
   उरई, जनपद–जालौन।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025, राम मिलन बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025, राम मिलन बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे शिकायकर्ता द्वारा जनपद–झांसी एवं जनपद–जालौन मे प्रवाहित हो रही नदियाँ बेतवा, धसान आदि मे बालू/मौरम खनन क्षेत्रों मे रात्रि के समय खनन, परिवहन तथा भारी मशीनों के उपयोग आदि से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। प्रकरण मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष शपथ–पत्र/आख्या प्रस्तुत की जानी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत वाद मे अपने जनपद से सम्बन्धित शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के परिप्रेक्ष्य मे आख्या अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र अति शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे, ताकि ससमय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष सूचनाऐं प्रस्तुत की जा सके। प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे विचाराधीन है तथा प्रकरण मे सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि दिनांक–28.01.2026 नियत है। अतः आपका विशेषाध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

(इमरान अली)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
2. जिलाधिकारी महोदय, उरई, जनपद–जालौन।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, खनन विभाग, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारियों को स्वंय के स्तर से भी सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित करना चाहेगे।

क्षेत्रीय अधिकारी

उ. प्र. आवास विकास कालोनी, (तालपुरा योजना) कानपुर रोड, झाँसी– 284001

631
12/01/26

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

संख्याः– 1234 /30 एम0एम0सी0/2025–26 दिनांकः 12/01/2026

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025, राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–545/NGT/OA-203/26 दिनांकः 06.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025, राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में शिकायतकर्ता द्वारा जनपद–झाँसी एवं जनपद–जालौन में प्रवाहित हो रही नदियाँ बेतवा, धसान आदि में बालू/मौरम खनन क्षेत्रों में रात्रि के समय खनन, परिवहन तथा भारी मशीनों के उपयोग आदि से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष शपथ–पत्र आख्या प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025, राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में वांछित अभिलेख की इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

12/01/2026

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांकः
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP85251439548501X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Krishna Kant Rai
L. No. 179

Certificate No.	:	IN-UP85251439548501X
Certificate Issued Date	:	12-Aug-2025 11:33 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14278204/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14278204681403505365 12X
Purchased by	:	R P SINGH SO SHIV BADAN SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	R P SINGH SO SHIV BADAN SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	R P SINGH SO SHIV BADAN SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY ★ Keshav Singh Narvaria H.Q. JHANSI Reg. No.-47 (04) 82 Valid up to 21/3/2030 ★ GOVT. OF U.P. (INDIA) NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

Part of Affidavit

NOTARY ★ Keshav Singh Narvaria H.Q. JHANSI Reg. No.-47 (04) 82 Valid up to 21/3/2030 ★ GOVT. OF U.P. (INDIA)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN .... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. . ..**RESPONDENTS**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate –Jhansi in compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. R 1: -** A copy of the Government Order dated 29.11.2023	
3.	**Annexure No. R 2:-** A copy of the Order dated 11.01.2024	
4.	**Annexure No. R 3: -** A copy of list enumerating the details of the irregularities found during inspections, as well as the actions taken in relation to lease holders.	

DATED: - .08.2025

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL STATE OF U.P.
A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013
MOB: - 9990804440
Email: - ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN .... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .....**RESPONDENTS**

REPLY AFFIDAVIT OF SENIOR MINES OFFICER ON BEHALF DISTRICT MAGISTRATE JHANSI (RESPONDENT NO.5) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent herein states as under: -

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Ram Padarath Singh aged about 46 years, S/o Shri Shiv Badan Singh , presently posted as Senior Mines Officer District Jhansi , the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorised officer on behalf of answering Respondent No. 5, who has duly authorised the deponent and is duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the Deponent is posted as Senior Mines Officer District- Jhansi, since……. and is swearing this reply affidavit in his official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

"..........*5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board(CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months......."

6. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY Keshav Singh Narwaria H.O. JHANSI

7. That in compliance of the order dated 27.05.2025, passed by this Hon'ble Tribunal it is submitted that an inspection was conducted on 01.07.2025 by the members of the Joint Committee. The complainant, Shri Ram Milan, son of Shri Virendra Kumar, resident of Muskara, District Hamirpur, Uttar Pradesh, was also present at the site wherein he submitted following declaration at the time of inspection: -

"I have no grievance against the Mining Departments of District Jalaun and District Jhansi. However, I have objections regarding the operation of poclain machines and the resulting pits in the mining areas of Village Beri, Block No. 10/6, Village Chandeet, Block No. 21/1, and Village Ichhaura Jitkari, Block Nos. 25/17, 25/18, and 25/21, in District Hamirpur. Apart from the aforesaid, I have no other complaint."

8. That for the purpose of ensuring effective control over illegal mining and transportation within the State, an eight-member District Level Task Force, under the Chairmanship of the District Magistrate, has been constituted in accordance with the provisions contained in Government Order No. 12/2023/1/435766/2023/86-01099/136/2019 dated 29.11.2023, issued by the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh. A copy of the Government Order dated 29.11.2023 is being annexed as **Annexure No. R 1** to this affidavit.

9. That in pursuance of the directions contained in the aforesaid Government Order, vide Office Letter No. 1912/30M.M.C./Mineral/2023-24 dated 11.01.2024, a District Level Task Force, under the Chairmanship of the District Magistrate, and a Tehsil Level Task Force, under the Chairmanship of the Sub-Divisional Magistrate, have been constituted in District Jhansi for the purpose of exercising strict vigilance and control over illegal mining and transportation. A copy of the Order dated 11.01.2024 is being annexed as **Annexure No. R 2** to this affidavit.

10. That the members of the said Task Forces have been directed to remain vigilant and conduct surprise inspections and regular intensive checking of the operational mining leases of minor minerals such as stone blocks, boulders, grit, stone dust, sand, M-sand, and red morrum (arising from hill erosion), as well as of sites against which specific complaints of illegal mining have been received. The proceedings and actions undertaken by the constituted Committee are reviewed by the District Magistrate on a monthly basis, and necessary directions are issued to the members of the Task Force accordingly.

11. That in addition to the above, it is further submitted that, pursuant to the constitution of the Task Force vide Office Letter dated 11.01.2024, surprise inspections were carried out by its members in respect of the approved mining leases of minor minerals, such as sand and morrum, operating within the District, both after the conclusion of the monsoon season in the financial year 2024-25 and prior to the commencement of the monsoon season in the financial year 2025-26. A copy of list enumerating the details of the irregularities found during such inspections, as well as the actions taken in relation to such lease holders is being annexed as **Annexure No. R 3** to this affidavit.

NOTARY Keshav Singh H.Q. GOVT. OF INDIA

12.That it is germane to mention at this juncture that in addition to the foregoing, it is further submitted that, in order to impose an effective check upon illegal mining and transportation, during the financial year 2024-25, 02 First Information Reports (FIRs) were registered under Sections 4 and 21 of MMDR Act 1957, and during the financial year 2025-26, 28 complaints have, till date, been filed before the Hon'ble Court of the Chief Judicial Magistrate, Jhansi, which are presently pending adjudication and are being pursued by the District Administration- Jhansi.

13.That it is also submitted that, by virtue of Notification No. 436/86-2020-132-2016 TC-I, Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, dated 18.03.2020, the U.P. District Mineral Foundation Trust (First Amendment) Rules, 2020 were promulgated, and in continuation thereof, Government Order No. 662/86-2020-132/2016 TC-II, Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, dated 26.03.2020, was issued. The said provisions empower the authorities to utilize funds from the District Mineral Foundation Trust Fund for the creation of technical infrastructure, acquisition of necessary equipment, and engagement of personnel, with a view to controlling illegal mining/transportation from the standpoint of environmental protection and pollution control.

14.That pursuant to the provisions of the U.P. District Mineral Foundation Trust Rules, 2017, in the meeting of the Governing Council constituted thereunder, and in compliance with the directions contained in Letter No. 982/54-37 DMF-VI/2016 dated 23.09.2020 issued by the Director, Directorate of Geology and Mining, U.P., Lucknow, four (04) IOT/AI-based check-gates (namely, Jhansi-Poonch, Jhansi-Gursarai, Semri Toll Plaza, and Babina Toll Plaza) have been installed within the District. Through these check-gates, vehicles engaged in the transportation of minor minerals are subjected to electronic surveillance, and upon detection of irregularities, e-notices are issued through the e-surveillance system.

NOTARY
Keshav Singh Narvaria
H.Q. JHANSI
Reg. No.-47 (34) 02
Valid up to
21/3/2030
GOVT. OF U.P. (INDIA)

15.That, furthermore, from the year 2021 till March 2025, a total of 1,749 vehicles were identified through the aforementioned IOT/AI-based check-gates. Upon issuance of e-notices to the said vehicles, a penalty amounting to ₹4,10,51,119/- was imposed, out of which ₹2,71,92,572/- has been

realized. Additionally, 481 vehicles were blacklisted under proceedings initiated by the Assistant Regional Transport Officer, Jhansi, and the list of such blacklisted vehicles was circulated to all toll plazas and police stations in the District, so that the said vehicles could be intercepted and detained, and appropriate penal action could be taken as per law.

16. That, it is further submitted that, through the Task Force constituted vide Office Letter dated 11.01.2024, surprise inspections of approved mining leases of minor minerals (sand/morrum) operating within the District Jhansi are being carried out to ensure that the leaseholders strictly comply with the terms and conditions stipulated in the lease deed (DEED), the conditions specified in the Environmental Clearance Certificate, as well as those contained in the Consent to Operate (CTO). Strict penal action is also undertaken to curb illegal mining/transportation in accordance with the applicable statutory provisions.

17. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the DistrictAdministration- Jhansi is very conscious and vigilant about illegal sand mining/transportation in the alleged areas. The State Government undertakes before this Hon'ble Tribunal that it will leave no stone unturned in ensuring that prompt and strict penal action in accordance with law is taken against the persons involved in illegal sand mining/transportation in District- Jhansi.

18. That further the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that he is duty bound to ensure the compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.

19. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant reply affidavit filed by the District Magistrate- Jhansi be taken on record, in the interest of justice.

NOTARY Keshav Singh H.Q. JHANSI

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ...Jhansi... on ...12.8.2025.... That the contents of the Paras 1 to ...19... of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Keshav Singh Narvaria
H.Q. JHANSI
Reg. No.-47 (04) 82
Valid up to 21/3/2030
GOVT. OF U.P. (INDIA)

Serial No. 1680 Date..
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at..........
by shri Ram Prasad Singh
whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by shri.........Sd..........
Received the legal fee Rs.35/- each
12.8.25
KESHAV SINGH NARVARIA
Advocate
Notary Distt. Jhansi (U.P.)

<u>कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-12/2023/।/435766/2023/86-01099/136/2019</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार-।।।,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग — लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 2023

विषयः- अवैध खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्यबल का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या-616/86-2018-371/2005, दिनांक 20.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) का गठन किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपद स्तरीय कार्यबल (Task force) में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन, सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) तथा जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुये प्रश्नगत कार्यबल की संरचना निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त (DCP)	सदस्य
3.	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी खनन	सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
5.	उपजिलाधिकारी	सदस्य
6.	पुलिस क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)	सदस्य
7.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
8.	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक (खान अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में)	सदस्य/सचिव

NOTARY Keshav Singh Narvaria Reg. No. 47 (04) 82 Valid up 21/3/2030 GOVT. OF U.P.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

. साथ ही यह भी मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अब उपरोक्तानुसार गठित 08 सदस्यीय कार्यबल द्वारा प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक माह 02 औचक निरीक्षण के साथ-साथ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य किया जाय। कार्यबल द्वारा प्रत्येक सप्ताह अवैध खनन/परिवहन की सघन चेकिंग की जाय तथा उक्त सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से ई-मेल cmo.lko62@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में आपके द्वारा स्वयं प्रवर्तन कार्यों की प्रभावी समीक्षा तथा प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्य से संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार-।।।
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदों से कार्यबल द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट को संकलित कर उसके आधार पर एक समेकित रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रतिमाह शासन को उपलब्ध करायी जाय।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खनन निरीक्षक,उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश)
7. गार्ड फ़ाईल।

आज्ञा से,
विजय कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 1913 / 30एम0एम0सी0 / खनिज / 2023-24 दिनांकः 11 / 01 / 2024

आदेश

जनपद में अवैध परिवहन (बिना परिवहन प्रपत्र / बिना आई0एस0टी0पी0 / बिना माईन टैक) तथा उपखनिजों के ओवरलोड पर प्रभाती नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शासकीय पत्र संख्या-12 / 2023 / 1 / 435766 / 2023 / 86-01099 / 136 / 2019 दिनांक:29.11.2023 में दिये गये निर्देश के कम में झाँसी-कानपुर हाई-वे (थाना-पूंछ) एवं गुरसराय-कोटरा मार्ग (थाना-एरच) से परिवहन करने वाले उपखनिजों के वाहनों की नियमित जाँच किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रवर्तन दल का गठन किया जाता है :-

प्रवर्तन दल-(A) झाँसी-कानपुर हाई-वे (थाना-पूंछ)	
1.	उप जिलाधिकारी, मोंठ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी
2.	ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान निरीक्षक / सर्वेक्षक / खनिज मुहर्रिर
3.	क्षेत्राधिकारी पुलिस, मोंठ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी
4.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार, मोंठ
5.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी
6.	थानाध्यक्ष-पूंछ
प्रवर्तन दल-(B) गुरसराय-कोटरा मार्ग (थाना-एरच)	
1.	उप जिलाधिकारी, गरौठा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी
2.	ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान निरीक्षक / सर्वेक्षक / खनिज मुहर्रिर
3.	क्षेत्राधिकारी पुलिस, गरौठा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी
4.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गरौठा
5.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी
6.	थानाध्यक्ष-एरच

अतः उपरोक्त प्रवर्तन दल को निर्देशित किया जाता है कि अपने दल के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए आवंटित निरीक्षण क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए उपखनिज यथा गिट्टी / बोल्डर / डस्ट / बालू / मौरम / एम सेन्ट / पहाड़ी क्षरण से उत्पन्न लाल मौरम आदि का परिवहन करने वाले वाहनों में परिवहन प्रपत्र ई-एम0एम0-11 / ई-प्रपत्र-सी / सम्बन्धित राज्य से वैध अभिवहन प्रपत्र (ETP) / अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (ISTP) / बिना माईन टैक तथा ओवरलोड वाहनों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। जाँच के दौरान पायी गयी अनिमितताओं पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर उसकी निमित्त आख्या सूचना / रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) / प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

NOTARY GOVT. OF INDIA Keshav Singh H.Q. JHANSI Reg. No. 47 (04) 82 Valid up to 21/1/2030

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3- मा0 आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
4- प्रवर्तन दल का गठित सभी सदस्यों को अनुपालनार्थ हेतु।

12/01/24

जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः– 779/30एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांक 25/10 / 2024

नोटिस

मेसर्स राशि इण्टरप्राईजेज
प्रो0 हरी शंकर राजपूत
पुत्र श्री कल्याण सिंह राजपूत
निवासी–453ख, चिरगांव–देहात,
तहसील–मौंठ, जनपद–झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (x) पर दिनांकः 23.10.2024 ट्विटकर्ता Pushpendra Yadav jhansi (@pushpendrayad13) द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि ''एरच थाना क्षेत्र के डेरा बालू घाट पर धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, प्रतिबन्धित मशीनों से खनन माफिया बेतवा नदी का सीना कर रहे छलनी, एन0जी0टी0 के नियमों को ठेंगा दिखा रहे अवैध खनन'' एवं दिनांकः 24.10.2024 को ट्विटकर्ता Hindi khabar (@hindikhabar) यूजर द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि ''जनपद के डेरा बालू घाट पर अवैध खनन का खेल फिर से शुरू, प्रतिबन्धित दर्जनों मशीनों, पन्नडुबियां, लिफ्टर से अवैध खनन से जारी'' का संज्ञान लेते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी–झाँसी एवं खान निरीक्षक, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–एरच के आराजी संख्या–420, 421, 422, 423 एवं 426 रकवा 2.386 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण आज दिनांकः 24.10.2024 को समय 03:14 PM बजे किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-E-F-G-H-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक सक्शन मशीन लिफ्टर नदी में बीचो–बीच भागते हुए पाया गया तथा अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°49'16''N 79°06'55'' E पर सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
3. बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (B) से लगभग 50 मीटर की दूरी पर (उत्तर दिशा की ओर) एवं बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनुज्ञाधारक द्वारा नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

अवैध खनन का स्थान जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	ऊचांई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2X3X4)
25°49'16''N 79°06'55'' E	15	22	0.6	198
25°49'22''N 79°06'37'' E	70	6.8	1.5	714
कुल योग				912

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-E-F-G-H-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया, प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक सक्शन मशीन लिफ्टर नदी में बीचो–बीच भागते हुए पाया गया तथा अनुज्ञा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°49'16''N 79°06'55'' E पर सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये, बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (B) से लगभग 50 मीटर की दूरी पर (उत्तर दिशा की ओर) एवं बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (E) से लगभग 190 मीटर की दूरी पर (पूरब

2–

NOTARY Keshav Singh Nalvoria H.Q. JHANSI Reg. No.-47 (04) 82 Valid upto 21/3/2030 GOVT. OF U.P. (INDIA)

(2)

दिशा की ओर) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनुज्ञाधारक द्वारा नदी में रास्ता बनाकर अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी। जिसमें स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 912.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 35, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें सीमा स्तम्भ न लगाये जाने के कारण उक्त नियमावली,2021 के नियम–60(3) के अन्तर्गत 25,000.00 की शास्ति की धनराशि, सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम–60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू0 5,00,000.00 की धनराशि, पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के कारण नियम–60(2) के अन्तर्गत 50,000.00 की धनराशि एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 912.00 घनमीटर बालू/मौरम पर रॉयल्टी के रूप में रू0 1,36,800.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 1,36,800.00 X 5 = 6,84,000.00 की धनराशि व नियम–58 के अन्तर्गत रू0 5,00.000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 18,95,800.00 अधिरोपित की जाती है।

इसी प्रकार पूर्व में भी प्रश्नगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या–2082/30एम0एम0सी0/2023–24 दिनांकः 26.02.2024 के माध्यम से निरीक्षण आख्या दिनांकः 24.02.2024 में उल्लिखित तथ्यों के कम में नोटिस निर्गत कर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–36 का उल्लंघन पाये जाने पर नियम–60(3) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की कार्यवाही की गयी, प्रशनगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का दिनांकः 30.03.2024 को भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–3, 36(1), 36(2) व 42(ज) का उल्लंघन आप द्वारा द्वितीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या–12/ 30एम0एम0सी0/2024–25 दिनांकः 03.04.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम–58, 60(3) एवं 60(4) के अन्तर्गत रू0 10,50,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी एवं पुनः कतिपय प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रशनगत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का दिनांकः 01.05.2024 को उपजिलाधिकारी,गरौठा की अध्यक्षता में (राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं खनिज विभाग) आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–3 व 42(ज)(1) का उल्लंघन आप द्वारा तृतीय बार किया गया। जिसमें कार्यालय पत्र संख्या–102/ 30एम0एम0सी0/2024–25 दिनांकः 04.05.2024 के माध्यम से नोटिस निर्गत कर उक्त नियमावली के नियम–58 व 60(4) के अन्तर्गत रू0 25,00,000.00 की धनराशि अधिरोपित कर वसूल की गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 35, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं पर्यावरण शर्तों तथा स्वीकृत खनन अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार–बार किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शस्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू0 18,95,800.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

NOTARY Keshav Singh Narvariya H.Q. JHANSI Reg. No. 47 (04) 82 Valid upto 21/3/2030 GOVT. OF U.P. (INDIA)

जिलाधिकारी,
o/c झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः

प्रतिलिपिः– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः– 973/उ0एम0एम0सी0/2024–25 दिनांकः17/12/2024

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो0 श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी–ग्राम भरोसा, तहसील–मोंठ, जिला–झाँसी।

जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–खरवांच के आराजी संख्या–908न (खण्ड–2) रकवा–24.00 हे0 क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांकः 06.12.2021 से दिनांकः 05.12.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में खान निरीक्षक, झाँसी द्वारा प्रेषित "जॉच आख्या दिनांकः 11.12.2024 उल्लेख किया गया है कि " मा0 हरित न्यायाय, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1025/2024 "सुरेन्द्र सिंह परिहार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 05.11.2024 में गठित समिति एवं प्रभारी अधिकारी खनिज, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 11.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य बन्द होना पाया गया तथा सीमास्तम्भ अपने निर्धारित भू–निर्देशांक पर लगा होना पाया गया किन्तु पट्टा क्षेत्र के लगा हुआ कैमरा संचालित होना नहीं पाया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आज दिनांक से पूर्व दिनांकः 16.11.2024 को प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था जिसमें पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा संचालित होना नही पाया गया था, जिसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांकः 19.11.2024 के माध्यम से पट्टाधारक को नोटिस प्रेषित किया गया।" उक्त नोटिस दिनांकः 19.11.2024 मे उल्लिखित धनराशि का भुगतान आप द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार दिनांकः 16.11.2024 को Last date of inspection मानते हुए दिनांकः 16.11.2024 से दिनांकः 11.12.2024 की अवधि में पी0जी0जेड0 कैमरा संचालित न होने की दशा में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(3) के अन्तर्गत प्रति चूक के लिए प्रतिदिन रू0 25,000.00 की दर से शास्ति शुल्क (यानि की रू0 25,000.00 X 25 = 6,25,000.00) अधिरोपित की जाती है। इस प्रकार नोटिस दिनांकः 19.11.2024 के माध्यम से रू0 25,000.00 की धनराशि तथा वर्तमान में अधिरोपित रू0 6,25,000.00 की धनराशि का कुल योग करते हुए रू0 6,50,000.00 की अधिरोपित की जाती है।

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(2) का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियम–60(3) के अन्तर्गत रू0 6,50,000.00 की अधिरोपित धनराशि को यथा शीघ्र खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को आप द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि में से कटौती करने सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

NOTARY Keshav Singh ... GOVT. OF U.P. (INDIA) ... 21/3/2030

17/12/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।

17/12/2024
ज्येष्ठ खान अधिकारी
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झॉसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–959 / 30एम0एम0सी0 / 2024–25

दिनांक 12/12./2024

नोटिस

श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता
निवासी–91–बी0 ककराही–1 बाजार–1,
दिबियापुर, जनपद–औरैया।

जनपद–झॉसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–मोतीकटरा के आराजी संख्या–1419 (खण्ड–01) रकवा **24.000** हेक्टेयर क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांकः 08.10.2024 से दिनांकः 07.10.2024 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांकः 04.12.2024 को समय 05:54 PM बजे ज्येष्ठ खान अधिकारी, झॉसी एवं खान निरीक्षक, झॉसी द्वारा किया गया जिसका निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर न लग कर किसी और जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन के चिन्ह पाये गये।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पत्थरो के माध्यम से बाधित किया जाना पाया गया, जिसे मौके पर हटाकर जल का बहाव पुनः चालू कर दिया गया।
4. खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन किया जाना पाया गया, जिसका पैमाईस निम्नवत् हैः–

लम्बाई	चौडाई	गहराई	कुल मात्रा
29	20	1	580

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर न लग कर किसी और जी0पी0एस0 बिन्दु कोर्डिनेट पर लगा होना पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 का उल्लंघन है जिसमें नियम–60(3) के अन्तर्गत **रू0 25,000.00** की शास्ति तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में जल स्तर आने के बाद भी खनन के चिन्ह पाया जाना नियम–42(ज) का उल्लंघन है जिसमें नियम–60(4) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क एवं प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर नदी की जलधारा पत्थरो के माध्यम से बाधित किया जाना नियम–42(ज) एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र का उल्लंघन है जिसमें नियम–60(4) एवं 60(2) के अनुसार **रू0 5,50,000.00** तथा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 580 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन किया जाना उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण नियम–58 के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की **शास्ति शुल्क एवं 580.00 घनमीटर** बालू/मोरम का रॉयल्टी के रूप में रू0 87,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में **रू0 87,000-00 X 5 = 4,35,000.00** की धनराशि अधिरोपित किया जाता है। इस प्रकार कुल रू0 **20,97,000.00** को अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांकः12/12/2024 आदेश पारित किया गया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांकः 04.12.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनसुार **शास्ति की कुल धनराशि रू0 20,97,000.00** खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

NOTARY Keshav Singh ... GOVT. OF U.P. (INDIA)

जिलाधिकारी,
झॉसी।

RU193781168IN IVR:8285193781168
RL JHANSI KUTCHERY SO <284001>
Counter No:5,18/12/2024,15:07
To:SANJEEV KUMAR JHA ,DIBIYA PUR
PIN:206122, Auraiya HO
From:JYESTHA KHAN ADIKARI ,JHANSI
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
कर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी,
झॉसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–2036/30एम0एम0सी0/2024–25 दिनांकः 01/03/2025

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो0 श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी–ग्राम भरोसा, तहसील–मोंठ, जिला–झाँसी।

जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–खरवांच के आराजी संख्या–908न (खण्ड–02) में 20.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम के क्षेत्र को 05 वर्ष (दिनांकः 06.12.2021 से दिनांकः 05.12.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त पट्टा के सम्बन्ध में मा0 हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1025/2024 सुरेन्द्र सिंह परिहार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा आपने आदेश दिनांकः 05.11.2024 में निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

"4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Jhansi; Uttar Pradesh State Pollution Control Board; and Central Pollution Control Board

उक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 11.12.2024 को कर आख्या मा0 हरित अधिकरण न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है, जो मा0 हरित अधिकरण न्यायालय,नई दिल्ली की अधिकारिक वेबसाईट (www.greentribunal.gov.in) पर प्रदर्शित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांकः 26.11.2021 एवं Consent To Operate (CTO) दिनांकः 19.04.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तो का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के निम्न प्राविधान हैः–

"नियम–35 के अधीन उपबन्धित उपबंधो के अनुसार जारी अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित निबन्धन एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो पट्टेदार खनन कार्य करता है वह चूक के प्रति अवसर के अनुसार पचास हजार रूपये की दर से ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जिसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा।"

अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 01.03.2025 में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तो का पालन नहीं किये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर शास्ति की खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित बकाया धनराशि जमा प्रतिभूति के मद से वसूल की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

01/03/2025
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–1068/30एम0एम0सी0/2024–25 दिनांक 17/01/2025

नोटिस

शिवा कॉर्पोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा
निदेशक श्री आशु सिंह भाटी
पुत्र श्री मगन सिंह भाटी
निवासी–बारू भाटियों का मोहल्ला,
बरू जोधपुर (जोधपुर)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के सम्बंन्ध में सोशल मिडिया पर प्रकाशित हिन्दी खबर के क्रम में दिनांकः 09.01.2025 को राजस्व विभाग टहरौली, पुलिस विभाग, टहरौली एवं खनिज विभाग, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–टेहरका के आराजी संख्या–278, 293 में रकवा–20.234 हे0 में स्वीकृत उपखनिज बालू/मोरम के खनन अनुज्ञा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की आख्या निम्नवत् हैः–

"सोशल मिडिया पर प्रकाशित हिन्दी खबर के क्रम में आज दिनांकः 09.01.2025 को ग्राम–शमशेरपुरा में बालू/मोरम के अवैध खनन की जॉच उपजिलाधिकारी–टहरौली, पुलिस क्षेत्राधिकारी–गरौठा, ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी एवं सर्वेक्षक, झाँसी द्वारा किया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मैसर्स शिवा कार्पोरेशन (इण्डिया) लि0 निदेशक श्री आशू सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी निवासी–45, पश्चिम बिहार, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान के पक्ष में जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–टेहरका के आराजी संख्या–278, 293 में रकवा–20.234 हे0 क्षेत्र पर दिनांकः 07.12.2024 से दिनांकः 06.06.2025 तक की अवधि हेतु बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र 06 माह की अवधि के लिए स्वीकृत/संचालित है।

निरीक्षण के समय ग्राम–शमशेरपुरा में बालू/मोरम का अवैध खनन होते हुए नहीं पाया गया। ग्राम–टेहरका में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके निर्देशांक निम्नवत् हैः–

क0स0	GPS निर्देशांक	
	Latitude (N)	Longitude (E)
1	25°42'24.20"	79°01'39.40"
2	25°42'24.40"	79°01'40.87"
3	25°42'23.45"	79°01'40.73"
4	25°42'23.36"	79°01'38.79"

स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बालू/मोरम के खनन क्षेत्र की पैमाईस किया गया।

क्षे0 मी0 x ग0 मी0 = कुल मात्रा घनमीटर

1284 x 1.2 = 1540.80 घनमीटर

इस प्रकार खनन खनन अनुज्ञा मैसर्स शिवा कार्पोरेशन (इण्डिया) लि0 निदेशक श्री आशू सिंह भाटी पुत्र श्री मगन सिंह भाटी निवासी–45, पश्चिम बिहार, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1541.00 घनमीटर बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।"

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1,541.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन कर परिवहन किये

2...

(2)

जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें 1541.00 घनमीटर बालू/मोरम के अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में रू0 2,31,150.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 2,31,150.00 X 5 = 11,55,750.00 की धनराशि व नियम–58 के अन्तर्गत रू0 5,00.000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 18,86,900.00 को अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शस्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू0 18,86,900.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

NOTARY
Keshav Singh
Narvaria
H.Q. JHANSI
Reg. No.-47 (04) 82
Valid up to
21/3/2030
GOVT. OF U.P. (INDIA)

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः-2059/30एम0एम0सी0 / 2024-25 दिनांक 06/03 /2025

नोटिस

मेसर्स आर0एस0 माईन एण्ड मिनरल्स,
प्रो0 श्री सुमित सिंह पुत्र श्री ब्रजमोहन सिंह,
निवासी-1184, शिवाजी नगर,
तहसील व जनपद-झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांकः 04.03.2025 को राजस्व विभाग टहरौली, पुलिस विभाग, टहरौली एवं खनिज विभाग, झाँसी के संयुक्त दल द्वारा जनपद-झाँसी के तहसील-टहरौली स्थित ग्राम-कलोथरा के आराजी संख्या-02 (खण्ड-1) में रकबा-3.500 हे0 में स्वीकृत उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है:-

"1. प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया गया।
3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25.60748, 78.929164 पर 360.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया एवं जी0पी0एस0 बिन्दु 25.606821, 78.927018 पर 380.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया ।

उपरोक्त प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगाये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25.60748, 78.929164 पर 360.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया एवं जी0पी0एस0 बिन्दु 25.606821, 78.927018 पर 380.00 घनमीटर कुल-740 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।"

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 360.00 घनमीटर एवं 380.00 घनमीटर कुल 740.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने का कृत्य उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 व 72 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें कुल 740.00 घनमीटर बालू/मोरम के अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में रू0 1,11,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 1,11,000.00 X 5=5,55,000.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू0 5,00.000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि एवं खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नहीं पाया जाना उक्त नियमावली-2021 के नियम-36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नहीं पाया जाना उक्त नियमावली,2021 के नियम-36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति के रूप में अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 12,16,000.00 को अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार शस्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू0 12,16,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः—2072/30एम0एम0सी0/2024—25 दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मैसर्स आर0जी0एस0 कन्स्ट्रक्शन
प्रो0 श्री धूमन सिंह पुत्र श्री भागीरथ
निवासी—ग्राम वसोवई, तहसील—मोंठ, जनपद—झाँसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद—झाँसी के तहसील—मोंठ स्थित ग्राम—परैछा के आराजी संख्या—184/1 रक़वा—8.903 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 03/03/2025 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः—

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नही पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नही पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के नियम—36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम—60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 50,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांकः 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांकः 03.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 50,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू—राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी,झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

Keshav Singh Notary H.Q. Jhansi Reg. No. 27(34)02 GOVT. OF U.P. INDIA

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः—2070/ उ0एम0एम0सी0 / 2024-25 दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मैसर्स स्काईबिज इंडिया डेवलेपर्स प्रा0लि0
प्रो0 श्री प्रभात जैन पुत्र श्री सुरेश जैन
निवासी– पुराना हाई कोर्ट, लश्कर, ग्वालियर (म0प्र0)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद झाँसी के तहसील गरौठा स्थित ग्राम—चटगारी के आराजी संख्या 1 3 (खण्ड 1) रकबा 40.000 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मौरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नही पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मौरम का खनन किया जाना पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव किया जाना नही पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में 04 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नही पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के नियम—36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम—60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नही जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम—35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम—60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,00,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांकः 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांकः 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनसुार शास्ति की कुल धनराशिरू0 1,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू—राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी

NOTARY ★ Keshav Singh Narvaria H.Q. JHANSI Reg. No.-47 (04) 82 Valid upto 21/3/2030 ★ GOVT. OF INDIA

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक एवं तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी,झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–2074/ उ0एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांक 11 /03 /2025

नोटिस

मैसर्स एम0पी0एल इन्फा
प्रो0 मोहम्मद जावेद पुत्र श्री मोहम्मद अजीज
निवासी–41 ग्राम–रायपुर, आई0आई0एम0 रोड,
तहसील–सदर जनपद–लखनऊ।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–खरबांच के आराजी संख्या–908न (खण्ड–3) रकबा–12.146 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नही पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन किया जाना पाया गया, परन्तु स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाब किया जाना नही पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नही पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाब नही जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम–35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये जाना नियम–03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रू0 5,00,000.00 की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6,00,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांकः 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांकः 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनसुार शास्ति की कुल धनराशिरू0 6,00,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

NOTARY Keshav Singh Niranjan H.Q. JHANSI GOVT. OF U.P. (INDIA)

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी,झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झॉसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः-2073/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक 11/03/2025

नोटिस

मेसर्स भरोसा सरकार कॉन्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स
प्रो0 श्री दिनेश कुमार राजपूत पुत्र श्री शीतल प्रसाद
निवासी-ग्राम भरोसा, तहसील-मोंठ, जिला-झॉसी।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झॉसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-खरवांच के आराजी संख्या-908न (खण्ड-2) रकवा-20.000 हे0 पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 05/03/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा एवं साईन बोर्ड लगा हुआ नही पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच जी0पी0एस0 युक्त के0एम0एल0 फाईल से की गयी जिसमें खनन पट्टेधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी0पी0एस0 बिन्दु 25°43'35.54", 79°23'01.84" पर लगभग 350.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है तथा स्वीकृत क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी पट्टेधारक द्वारा खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाब किया जाना नही पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत क्षेत्र में मात्र 02 सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ नही पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाब नही किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 350.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रू0 5,00,000.00 एवं नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू0 52,500.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 52,500.00 x 5 = 2,62,500.00 एवं शास्ति शुल्क रू0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल धनराशि रू0 14,15,000.00 की शास्ति जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांकः 06.03.2025 के माध्यम से अधिरोपित की गयी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांकः 05.03.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनसुार शास्ति की कुल धनराशिरू0 14,15,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी,झॉसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झॉसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः- 65 /30एम0एम0सी0/2025-26

दिनांक02/05/2025

नोटिस

श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता
निवासी-91बी0, ककराही-1,बाजार-1,
दिबियापुर, जनपद-औरैया।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद-झाँसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम-मोतीकटरा के आराजी संख्या-1419 खण्ड-01 रकबा-24.000 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 28/04/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से भिन्न किसी अन्य भू-निर्देशांक पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम के खनन एवं लोडिंग हेतु कुल 04 मशीन पाये गये, जिसकी Boom Length की पैमाईश की गयी। पैमाईश के उपरान्त कुल 02 मशीनों का Boom Length 03 मीटर से कम होना पाया गया किन्तु 02 मशीन की Boom Length 03 से अधिक होना पाया गया जो पर्यावरण शर्तो एवं शासनादेश दिनांकः 21.06.2019 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है, जिस कारण उक्त मशीन को तत्काल पट्टा क्षेत्र से बाहर कर खनन संक्रियायें को उक्त मशीनरी का प्रयोग करने से वर्जित कराया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल रहें।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में रात्रि के समय खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसे मौके पर बन्द कराया गया।
6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर खनन किया जाना पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

अवैध खनन पिट 01 (जीपीएस बिन्दु 25°32'43.93", 79°24'31.82" के पास)

लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
200	20	0.5	2000

अवैध खनन पिट 02 (जीपीएस बिन्दु 25°32'45.01", 79°24'24.95" के पास)

लम्बाई	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
100	8	2.4	1920

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया जाना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में उपखनिज बालू/मोरम के खनन एवं लोडिंग हेतु 01 मशीन की Boom Length 03 से अधिक होना पाया गया, जो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि एवं खनन पट्टा क्षेत्र में रात्रि के समय खनन कार्य किया जाना पाया गया, जो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तो का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर कुल मात्रा 3920.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू0 5,88,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 5,88,000.00 x 5 = 29,40,000.00 एवं शास्ति शुल्क रू0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल धनराशि रू0 41,78,000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांक 28.04.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की कुल धनराशि रू0 41,78,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853 में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

NOTARY H.Q. JHANSI Reg. No. 27(04)82 Valid up to 21/3/2030

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी,झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः– 66 /30एम0एम0सी0/2025–26 दिनांक 01/05/2025

नोटिस

मैसर्स स्काईब्रिज इंडिया डेवलेपर्स प्रा0लि0
प्रो0 श्री प्रभात जैन पुत्र श्री सुरेश जैन
निवासी–पुराना हाई कोर्ट, लस्कर, ग्वालियर (म0प्र0)।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध जनपद झाँसी के तहसील गरौठा स्थित ग्राम–घटयारी के आराजी संख्या–1 3 (खण्ड–1) रकबा–40.000 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 27/04/2025 किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:–

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक से भिन्न किसी अन्य भू–निर्देशांक पर लगा होना पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन एवं लोडिंग हेतु कुल 04 मशीन पाये गये, जिसकी Boom Length की पैमाईश की गयी। पैमाईश के उपरान्त कुल उक्त मशीनों का Boom Length 03 मीटर से कम होना पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा हुआ पाया।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य सूर्यास्त के बाद बन्द होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नही किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम–35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम–60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 के शास्ति की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 75,000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या दिनांकः 27.04.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनसुार शास्ति की कुल धनराशि रू0 75,000.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में शास्ति की अधिरोपित धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Keshav Singh Narvaria

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

पत्रांक व तद दिनांकः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी,झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झॉसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः- 122 / उ0एम0एम0सी0 / 2025-26 दिनांक 17 / 05 / 2025

कारण बताओ नोटिस

मेसर्स पी0एस0ए0 कॉन्ट्रैक्टर एल0एल0पी0
प्रो0 भरत पाहवा पुत्र श्री विनोद कुमार
निवासी-310, वर्धमान तारू प्लाजा,
सी0यू0 ब्लॉक, प्रीतमपुर, दिल्ली।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में जनपद-झॉसी के तहसील-टहरौली स्थित ग्राम-कुकरगांव के आराजी संख्या-01क खण्ड-02 रकवा-9.712 हेक्टेयर पर संचालित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 08/05/2025 को किया गया। निरीक्षण की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् हैः-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा होना नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जाना नहीं पाया गया।
3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना नहीं पाया गया।
4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय खनन कार्य बन्द पाया गया।
5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण के समय पट्टा क्षेत्र के बाहर भू-निर्देशांक 25°38'29.54", 78°57'34.22" से भू-निर्देशांक 25°38'25.58", 78°57'29.59" तक रास्ता बना होना पाया गया, जिससे नदी की जलधारा बाधित होना पाया गया।
6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर आस्थाई रास्ते का निर्माण किया जाना पाया गया। उक्त बने रास्ते की पैमाईश की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

लम्बाई	चौडाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
230	5.00	1.5	1725

अवैध खनन पिट 02 (जी0पीएस बिन्दु 25°38'26.93", 78°57'29.19" के पास)

लम्बाई	चौडाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)	कुल मात्रा (घनमीटर में)
15	12	1.5	270

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सीमास्तम्भ अपने निर्धारित निर्देशांक पर लगा हुआ नही पाया जांना एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा लगा होना पाया गया किन्तु पट्टाधारक के प्रतिनिधि कैमरा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने में विफल पाये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36(1) व 36(2) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रूपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति इस प्रकार कुल रू0 50,000.00 एवं खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टेधारक द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी का छिडकाव नही किया जाना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन नहीं किये जाने का कृत्य नियम-35 का उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(2) के अन्तर्गत रू0 50,000.00 तथा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 स्थानों पर कुल मात्रा 1995.00 घनमीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू0 2,99,250.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 1995 X 150 X 5 = 14,96,250.00 एवं शास्ति शुल्क रू0 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) तथा जलधारा को बाधित किया जाना जाना नियम-42(ज) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें नियम-60(4) के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 के शास्ति की धनराशि का अधिरोपित किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त जॉच आख्या दिनांकः 07.05.2025 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष नोटिस प्राप्ति 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें की क्यों न आपके विरूद्ध उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-3, 35, 36(1) 36(2) एवं 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-58, 60(2) 60(3) व 60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में कुल धनराशि रू0 28,95,500.00 अधिरोपित करते हुए वसूल किया जाय तथा आपके विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जाय। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

संलग्नकः- जांच आख्या।

जिलाधिकारी,
झॉसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
झॉसी।

बयान

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक–01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ में मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वस्थ मन से दे रहा हूँ।

1– जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन पट्टों तथा जनपद जालौन व झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नही है।

2– जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या–10/6, ग्राम घण्डौत खण्ड संख्या–21/1 एवं ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गड्ढो की शिकायत है।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नही है।

रामगोपाल
सुरौली जि. हमीरपुर
7398605530
ता. 1-7/2025

NOTARY
Keshav S. Narvaria
H.Q. JHANSI
Reg. No. 47 (04) 82
Valid up to 21/3/2030
GOVT. OF U.P. (INDIA)

19/01/26

प्रेषक,

खान अधिकारी,
जालौन ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी।

संख्याः 3070/ खनिज–एमएमसी–30 दिनांकः 13/01/2026

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशो के अनुपालन के सम्बंध में।।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयंक अपने पत्र सं0 545/एनजीटी/ओए–203/26 दिनांक 06.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित विचाराधीन वाद में शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के परिपेक्ष्य में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट आफॅ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा प्रकरण के सम्बंध में प्रतिशपथ पत्र दिनांक 01.08.2025 को योजित किया जा चुका है।

O/SA

अतः प्रकरण के सम्बंध में योजित प्रतिशपथ पत्र एंव तद्सम्बंधी जांच की आख्या की छायाप्रति मय संलग्नक इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

13/01/2026

खान अधिकारी
जालौन

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिलाधिकारी, महोदय जालौन।

2– क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय झांसी।

खान अधिकारी
जालौन

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN .... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY AFFIDAVIT OF ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (Finance and Revenue) JALAUN [ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE JALAUN RESPONDENT N0. 6] IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL	

DATED: -

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF U.P.

A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013

MOB: - 9990804440

Email: - ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 203 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAM MILAN

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.....RESPONDENTS

REPLY AFFIDAVIT OF ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (Finance and Revenue) JALAUN [ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE JALAUN RESPONDENT N0. 6] IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 6 herein states as under: -

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Sanjay Kumar aged about 46 years, S/o Late Manna Ram presently posted as Additional District Magistrate (Finance and Revenue) Jalaun, the deponent,on behalf of District Magistrate Jalaun, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned authorized officer on behalf of answering Respondent No. 6 and who has duly authorized the deponent to file the instant reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

TRIBUNAL PRINCIPAL

4. That the Deponent is posted as Additional District Magistrate (Finance and Revenue) Jalaun, since 09.07.2023 and is swearing this affidavit in his official capacity.

5. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 27.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

   "..........5. In view of the environmental questions involved in the case, wealso consider it appropriate that a Joint Committee be constituted toverify the factual position and suggest appropriate remedial action.Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers dulyauthorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board(CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh,District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; DistrictMagistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct thesame to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative ofthe concerned project proponents, verify the factual position and suggestappropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency forcoordination and compliance.

   6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months......."

6. That the present reply is being filed in respectful compliance of the order dated 27.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. That in compliance of the order dated 27.05.2025, passed by this Hon'ble Tribunal it is submitted that an inspection was conducted on 01.07.2025 by the members of the Joint Committee. The complainant, Shri Ram Milan, son of Shri Virendra Kumar, resident of Muskara, District Hamirpur, Uttar Pradesh, was also present at the site wherein he submitted following declaration at the time of inspection: -

   "I have no grievance against the Mining Departments of District Jalaun and District Jhansi. However, I have objections regarding the operation of poclain machines and the resulting pits in the mining areas of Village Beri, Block No. 10/6, Village Chandeet, Block No. 21/1, and Village

NOTARY S.N. TIWARI ORAI R.49(10)/2000 20/5/2025 to 19/5/2030 U.P. GOVT.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

IchhauraJitkari, Block Nos. 25/17, 25/18, and 25/21, in District Hamirpur. Apart from the aforesaid, I have no other complaint"

8. That in the present application,the relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicant is translated and reproduced as follows: -

"That, with utmost respect, it is submitted that the Applicant, being an environmental enthusiast, has been diligently acting to prevent ecological degradation caused by indiscriminate excavation of riverbeds. The Applicant is a resident of Village Muskara, District Hamirpur (U.P.), PIN-210506, holding Aadhaar No. 507795407568. The Betwa River flows from District Jalaun through to Hamirpur, ultimately merging with the Yamuna River at Hamirpur. Similarly, the Ken River also merges with the Yamuna River. Districts Jhansi, Jalaun, Hamirpur, and Banda are widely known across the State for sand/morrum mining and transportation.

Currently, mining leases are granted through the e-tender-cum-e-auction system, wherein bidders from outside the local area offer exorbitant bids to acquire mining rights. Owing to the high bid amounts, leaseholders, in their pursuit to recover costs and secure profits, do not hesitate to indulge in illegal mining and transportation activities. Consequently, such illegal practices lead to environmental imbalance due to unwarranted interference with the adjoining areas of the leased mining zones and riverbeds. Local residents, upon witnessing the deteriorating condition of rivers, are deeply distressed and apprehensive about the adverse consequences in the future."

9. That in this context, it is further pertinent to note that as per the statutory provisions, the mining of sand is not permitted prior to sunrise or after sunset. The use of heavy machinery for mining operations is expressly prohibited under the mining rules. Furthermore, excavation beyond the groundwater level or deeper than three (03) metres, whichever occurs first, is not permissible. It is also a statutory obligation to ensure regular sprinkling of water in and around the mining sites in order to maintain environmental balance.

10. That it is noteworthy that newspaper reports published indicates instances of illegal mining in various locations, including 5,170 cubic metres of sand extracted from Block No. 21/1 of Village Chandauth in Tehsil Sarila, District

NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

Hamirpur; 10,500 cubic metres from Block No. 25/17 by the leaseholder of Block No. 25/18 in Village IchhauraJitkari; 2,166.50 cubic metres from Block No. 3 of the Pathari Sand Mine in District Banda; 2,991.25 cubic metres from Block No. 1 of Village Marouli; 3,503 cubic metres from the Ganja Sand Mine; 1,651 cubic metres from Village Marouli Khurd; 1,101.50 cubic metres from Village Khapatiya Kala; and 2,332 cubic metres from Block No. 5 of Village Marouli Khadar which is in District Banda

11. That the aforesaid newspaper report makes abundantly clear that no illegal mining of minor minerals/ transportation has taken place in District Jalaun.

12. That it is a well-established principle that sub-minerals are essential for sustainable development; however, efforts must be made to ensure that mining operations cause minimal harm to the environment. Irregular and illegal mining activities carried out during nighttime, coupled with the movement of overloaded vehicles, are causing irreversible damage to the environment.

13. That with regard to District Jalaun, the mining operations over the riverbeds are regulated and managed under the provisions of the Uttar Pradesh Minor Minerals Concession Rules, 2021, and as per the DSR (District Survey Report) approved by the SEIAA. For effective control of illegal mining/transportation, a Task Force has been constituted in the District. Upon receiving information regarding illegal mining or transportation, the Task Force promptly takes cognizance of the matter and initiates action in accordance with the rules. No instances of unwarranted interference with the adjacent areas of the mining zones or river channels, causing ecological imbalance, have been reported.

14. That in District Jalaun, mining activities are carried out strictly between sunrise and sunset. No instance of mining prior to sunrise or after sunset has been reported. The leaseholders in District Jalaun undertake water sprinkling on the transportation routes and in adjacent areas of the mining zones to maintain environmental balance.

NOTARY S. N. TIWARI ORAI R.49(19)/2000 20/5/2025 to 20/5/2030 U.P. GOVT.

15. That since the mining areas are situated within the riverbed, proper internet connectivity is often not available, due to which the leaseholders establish

NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL

offices in the nearby villages for the issuance of Form E-MM-11. A weighing machine is installed at the said E-MM-11 office for issuing forms for the permissible quantity of minerals. Therefore, the issuance of E-MM-11 after sunset is related solely to the transportation of minerals and not to mining activities.

16. That it is further submitted that the District Task Force is regularly engaged in enforcement activities. During the current financial year 2025-26, up to the month of June 2025, a total of 964 cases have been identified, resulting in the recovery of ₹486.43 lacs, which has been duly deposited in the State Treasury. Simultaneously, necessary legal action has been initiated in cases of illegal mining. Moreover, three check-gates have been established in the District for effective control over illegal transportation, and the process for establishing two additional check-gates is currently underway, which is expected to further strengthen monitoring of illegal transportation activities. During the joint inspection conducted on 01.07.2025, the complainant himself stated that he has no grievance against the mining leases or the Mining Departments of Districts Jalaun, which clearly indicates that effective control over illegal mining/transportation is being maintained in District Jalaun.

17. That furthermore, it is pertinent to note that the Environmental Clearance Certificate issued for mining lease areas specifies that:

"The mining work shall be open-cast and manual/semi-mechanized (subject to orders). Heavy machinery such as excavators, scoopers, etc., shall not be employed for mining purposes. No drilling/blasting shall be involved at any stage."

18. That in District Jalaun, mining activities are undertaken strictly through open-cast or semi-mechanized methods (using manually operated machines) in accordance with the conditions of the Environmental Clearance Certificate and Rule 41(g) of the 2021 Rules. The Environmental Clearance Certificate issued by the State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), Lucknow, categorically states that mining operations shall only be conducted during daytime hours.

NOTARY S. N. TIWARI ORAI R.49(19)/2000 20/5/2025 to 20/5/2030 U.P. GOVT.

19. That it is further submitted that during the day, sand is excavated from the mining sites, loaded into transportation vehicles, and stationed near the weighbridges. A portion of the minerals is also stored at the lease area. Subsequently, during the night, the pre-excavated minerals are loaded onto transportation vehicles in the permissible quantity as per the transport permits and dispatched to the designated destinations. It is also pertinent to note that heavy vehicles are generally prohibited from entering villages, towns, and cities during the daytime. Consequently, the time limit prescribed for the destination in the transportation passes/E-MM-11 forms often expires, leading to challans being issued by the enforcement teams and check-gates set up in various Districts for illegal transportation/overloading. This results in vehicle owners and mineral transporters preferring to carry out transportation primarily during nighttime, which explains the generation of transportation passes/E-MM-11 during night hours. However, it is clarified that no mining activity is carried out during nighttime.

20. That the Task Force constituted in the District continuously monitors all mining lease areas to ensure that no mining activities are undertaken within the river channel and to prevent any form of illegal mining. In the event of any violation, strict legal action is initiated against the concerned parties in accordance with the rules.

21. That it is also submitted that, in order to maintain strict vigilance over illegal mining and transportation, periodic inspections of all approved mining areas are conducted by the District Task Force and departmental officers. In cases where irregularities are found, appropriate legal action is promptly taken. Further, to prevent illegal mining/transportation, Task Forces have been constituted both at the District and Tehsil levels, which are continuously carrying out enforcement operations.

NOTARY S. N. TIWARI ORAI R.49(19)/2000 20/5/2025 to 20/5/2030 U.P. GOVT.

22. That for real-time monitoring of vehicles passing through the approved/operational mining areas of the District, weighbridges and CCTV cameras have been installed, integrated with the Central Command Centre at the Directorate. PTZ cameras, boundary pillars, and geo-fencing systems have also been deployed in the operational mining zones. Additionally, to

ensure effective control over illegal mining and transportation, three AI-based unmanned check-gates equipped with modern cameras and RFID scanners have been set up at Gayanbharti Jholupur more Kalpi, Bundelkhand Expressway Dakor Cut, and Bangara Cut. These check-gates are integrated with the Central Command Centre located at the Directorate of Geology and Mining, Lucknow. Through these check-gates, vehicles engaged in illegal mineral transportation are automatically identified, and notices are issued accordingly.

23. That the deponent most humbly submits before this Hon' ble Tribunal that the District Administration is very conscious and vigilant about illegal sand mining/transportation in the alleged areas. The State Government undertakes before this Hon' ble Tribunal that it will leave no stone unturned in ensuring that prompt and strict penal action in accordance with law is taken against the persons involved in illegal sand mining/transportation in District- Jalaun.

24. That further the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that he is duty bound to ensure the compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.

25. That in light of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal, that the instant reply affidavit filed by additional district magistrate (finance and revenue) jalaun [on behalf of district magistrate jalaun respondent N0. 6] taken on record, in the interest of justice

NOTARY S. N. TIWARI ORAI R.49(19)/2000 20/5/2025 to 20/5/2030 U.P.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ...Orai..... on 01/08/2025. That the contents of the Paras 1 to 25.... of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn this day at Orai by Sri Sanjay Kumar S/o Late Manna Ram as Addressee in this document who is identified by Sri Additional District Magistrate Finance and Revenue Jalaun who is personally known to me. I have received my fees.

S. N. TIWARI
Notary, Orai (Jalaun)
01/8/25

DEPONENT

Indian Union Driving Licence
Issued by Uttar Pradesh

UP44 20040009906

Issue Date	Validity (NT)	Validity(TR)*
17-12-2024	21-12-2034	

Holder's Signature

Date of First Issue 22-12-2004

Name: SANJAY KUMAR

Date of Birth: 27-11-1978 Blood Group: A+ VE Organ Donor: N

Son/Daughter/Wife of: MANNA RAM

Address:
B10 SUSHIL NAGAR
ORAI,JALAUN,UP 285001

ATTESTED
S. N. TIWARI
Notary, Orai (Jalaun)
R. No.-49(19) 2000
21/8/25

NOTARY U.P. GOVT.
S. N. TIWARI
ORAI
R. 49(19)/2000
20/5/2025 to 20/5/2030

UPDL090014908883

No: UP44 20040009906

Invalid Carriage (Regn Numbers)*

Hazardous Validity* Hill Validity*

Form 7 Rule 16(2)

Class of Vehicle	Code	Issued By	Date of Issue	Vehicle Category	Badge Number*	Badge Issued Date*	Badge Issued By*
	MCWG	UP44	22-12-2004	NT			
	LMV	UP44	22-12-2004	NT			
MVSD							

Licensing Authority
UP92 JALAUN

Emergency Contact Number

Indian Union Driving Licence
Issued by Uttar Pradesh

UP44 20040009906

Issue Date	Validity (NT)	Validity(TR)*
17-12-2024	21-12-2034	

Holder's Signature

Date of First Issue 22-12-2004

Name: SANJAY KUMAR

Date of Birth: 27-11-1978 Blood Group: A+ VE Organ Donor: N

Son/Daughter/Wife of: MANNA RAM

Address:
B10 SUSHIL NAGAR
ORAI,JALAUN,UP 285001

ATTESTED
S. N. TIWARI
Notary, Orai (Jalaun)
R.No. 49(19)2000

NOTARY U.P. GOVT.
S. N. TIWARI
ORAI
R. 49(19)/2000
20/5/2025 to 20/5/2030

DL No: UP44 20040009906 UPDL000014808683

Invalid Carriage (Regn Numbers)*

Hazardous Validity* Hill Validity*

Form 7 Rule 16(2)

Class of Vehicle	Code	Issued By	Date of Issue	Vehicle Category	Badge Number*	Badge Issued Date*	Badge Issued By*
	MCWG	UP44	22-12-2004	NT			
	LMV	UP44	22-12-2004	NT			
MVSD							

Licensing Authority

Emergency Contact Number

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–203/2025 राम मिलन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 निम्नवत है :–

….."5. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB), Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Director, Mining and Geology Department, Uttar Pradesh, District Magistrate, Jhansi; District Magistrate, Jalaun; District Magistrate, Hamirpur and District Magistrate, Banda and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
6. Report of the Joint Committee may be filed by UPPCB within two months.
7. List on 16.07.2025 for further consideration."……

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.06.2025 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था कि निरीक्षण शिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाना उचित होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2025 निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

उपरोक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 27.05.2025 के कम में गठित समिति के नामित अधिकारी 1. श्री संदीप रॉय, वैज्ञानिक "घ", क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ 2. श्री अशीष चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी, भू–वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झॉसी 3. श्री विकास सिंह परमार, खान अधिकारी, जनपद–हमीरपुर 4. श्री राज रंजन, खान अधिकारी, जनपद–बॉदा 5. श्री इमरान अली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉसी 6. डॉ0 माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा (नोडल) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को खनिज विभाग, हमीरपुर कार्यालय में शिकायतकर्ता श्री राम मिलन के साथ बैठक एवं उनकी उपस्थिति में खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर श्री राम मिलन द्वारा अपना लिखित रुप से बयान प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर–203/2025 राम मिलन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 27.05.2025 में उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद–हमीरपुर व जनपद–बॉदा की जॉच शिकायतकर्ता श्री राम मिलन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी– ग्राम + पोस्ट मुस्करा, थाना–मुस्करा, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर की उपस्थिति में किया गया, जॉच के समय पाया गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमगन हो गये है तथा क्षेत्रों में जलधारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण कोई भी खनन गढ़ढा परिलक्षित नहीं हो रहा है ओर न ही किसी प्रकार की मशीनों से खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह से बारिस ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र तक पहुचने वाले रास्ते भी जलमगन हो गये है। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राम मिलन द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अगर भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमित्ता की जाती है तो सम्बन्धित विभाग व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचित करेंगें।

- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के कम में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

——2

1. जनपद–जालौन तथा जनपद–झॉसी के खनन पट्टो तथा जनपद–जालौन व झॉसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
2. जनपद–हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड संख्या–10/6, ग्राम–चण्डौत खण्ड संख्या–21/1 एवं ग्राम–इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/17, 25/18 एवं 25/21 में मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गढ़ढो की शिकायत है।
3. उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई शिकायत नहीं है।''(साक्ष्य संलग्न)

निरीक्षण के समय के फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

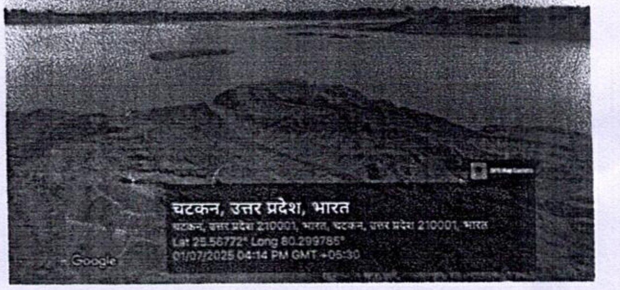

<u>जनपद–हमीरपुर में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् हैः–</u>

1. **<u>मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0–10/06, ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर।</u>**

- मैसर्स कॉवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0, खण्ड नं0–10/06, ग्राम–बेरी तहसील व जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP191792 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 196097/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 23.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 23.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बेरी के खण्ड संख्या–10/6– यह कि खनन पट्टा मे0 कॅवर इण्टर प्राईजेज प्रा0लि0 निदेशक श्री कॅवर पाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी–डी–19 सेक्टर–40 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 व शिवानी सिंह पुत्री श्री अनिल कुमार सिंह पता–हाउस नं0–208 गली नं0–13 लिबर्टी शोरुम के पास भीकम कालौनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के पक्ष में तहसील हमीरपुर के ग्राम बेरी खण्ड संख्या–10/6 रकबा–36.437 हे0 क्षेत्र पर बालू/मौरम खनन हेतु वार्षिक मात्रा–5,82,912 घन मीटर हेतु दिनांक–09.11.2023 से 08.11.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। खान अधिकारी हमीरपुर द्वारा खनन क्षेत्र की जांच दिनांक–24.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1238.3 घन मीटर बालू/मौरम का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–551/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2023–24) दिनांक–05.07.2024 निर्गत करते हुये अर्थदण्ड रु0–11,14,470/–आरोपित किया गया। पट्टाधारक द्वारा

——3

उक्त धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–233/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–23.07.2024 द्वारा अवैध खनन किये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। तहसीलदार हमीरपुर, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–23.12.2024 को जांच की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1418/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–26.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–5,00,000/– आरोपित किया गया। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच उपजिलाधिकारी हमीरपुर, क्षेत्राधिकारी हमीरपुर एवं खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.02.2025 को की गयी जिसमें पट्टधारक द्वारा 663 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1816/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–10.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–5,96,700/–आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि खनन क्षेत्र में लगे वे–ब्रिज के माध्यम से दिनांक–09.11.2025 से 05.04.2025 तक निकासी किये गये उपखनिज के अवैध परिवहन किये जाने के कारण 356 वाहनों पर कुल रु0–1,52,74,484/– धनराशि आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को इस कार्यालय के आदेश संख्या–141/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–24.04.2025 द्वारा खनन पट्टा निरस्त करते हुये देय बकाया धनराशि ससमय जमा करने हेतु तथा ससमय न जमा किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0–21/1, ग्राम–चण्डौत, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर

- मैसर्स ओम प्रकाश राम औतार, खण्ड नं0–21/1, ग्राम–चण्डौत, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP115799 दिनांक 23.11.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 195179/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2023 दिनांक 29.11.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 29.11.2023 से 31.12.2027 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम चण्डौत खण्ड संख्या 21/1– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 ओम प्रकाश राम अवतार प्रो0 श्रीमती रेनू गुप्ता पत्नी श्री सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी–128/346 एच0 ब्लाक किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उ0प0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम चण्डौत के खण्ड संख्या–21/1 रकबा–16.00 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,40,000 घन मीटर खनन हेतु दिनांक– 09.12.2023 से 08.12.2028 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, तहसीलदार सरीला जनपद हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–19.03.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 6425 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–39/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2023–24) दिनांक–04.04.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–58,32,500/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–623/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–20.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक–15.06.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1350 घन मीटर का अवैध खनन पाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–381/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–12,15,000/–आरोपित किया गया है। तत्पश्चात बकाया धनराशि जमा न करने के कारण कार्यालय के आदेश संख्या–230/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2024–25) दिनांक–23.07.2024 द्वारा अधिरोपित करते हुये धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान अधिकारी हमीरपुर, नायब तहसीलदार सरीला, चौकी प्रभारी चण्डौत, लेखपाल चण्डौत डाड़ा द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–18.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 5169.6 घन मीटर का अवैध खनन किया गया तथा खनन क्षेत्र में सी0सी0सी0टी0 कैमरा नही लगाया गया, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या–1226/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2024–25) दिनांक–26.11.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–51,02,640/–आरोपित किया गया।

——4

तत्पश्चात् पट्टाधारक द्वारा बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1459/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 505 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–189/खनिज– एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–4,54,500/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। उक्त क्षेत्र की पुनः जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल चण्डौत द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–27.04.2025 की गयी, जिसमें पट्टाधारक द्वारा कुल 1900 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–236/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–15.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–17,10,000/–आरोपित किया गया है।

- उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या–एच18723/सी–2/सा0–668/24 दिनांक 16.10.2024 द्वारा रू0–1,04,96,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

3. मै0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, खण्ड नं0–25/17, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर।

- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25/17– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 रेवा शुगर इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 निदेशक रसमीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पता–पोस्ट व तहसील पिपरिया नेहरुवार्ड नं0–13 अल्का टाकीज के पास पिपरिया हौशंगाबाद म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/17 रकबा–12.145 हे0 वार्षिक आकंलित मात्रा–1,94,296 घन मीटर हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1737/खनिज–एम0एम0सी– तीस–विविध (2022–23) दिनांक–21.02.2023 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्तमान समय में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया में है।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

4. मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0–25/18, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर।

- मैसर्स यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0, खण्ड नं0–25/18, ग्राम–इछौरा, जिटकरी, तहसील सरीला जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP110127 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205700/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25/18– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 यूफोरिया माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा0लि0 निदेशक चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री डी0डी0 चौरसिया निवासी–9ए पैरामाउण्ट विला श्यामला हिल्स नियर, रीजनल कालेज हुजूर रीजनल कालेज भोपाल म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25/18 रकबा–8.180 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 1,30,864 घन मीटर खनन हेतु दिनांक–16.03.2024 से 15.03.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच खान निरीक्षक हमीरपुर, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 15.06.2024 संयुक्त रुप से की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1820 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–382/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.06.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–16,38,000/– आरोपित किया गया है। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक

——5

चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–12.12.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक 10500 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–1348 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–12.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड रु0–94,50,000 / –आरोपित किया गया है। तत्पश्चात् आदेश संख्या–1557 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–22.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। खनन क्षेत्र की जांच उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–11.02.2025 को की गयीं जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र के अन्दर खनन कार्य करते हुये पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी / क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 650 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–196 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–5,85,000 / –अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

5. मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0–25 / 21, ग्राम–इछौरा जिटकरी, तहसील–सरीला, <u>जनपद–हमीरपुर।</u>

- मैसर्स डिजियाना इण्डस्ट्रीज, खण्ड नं0–25 / 21, ग्राम–इछौरा जिटकरी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP180555 दिनांक 14.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 206013/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/HAMIRPUR/2024 दिनांक 22.04.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल / वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 22.04.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–हमीरपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम इछौरा जिटकरी खण्ड संख्या 25 / 21– यह कि उक्त खनन पट्टा मे0 डिजियाना इण्डस्ट्रीज प्रो0 श्री तेजिन्दर पाल सिंह घुम्मन पुत्र श्री सुच्चा सिंह घुम्मन निवासी–233 विष्णुपुरी एन0एक्स0 भॅवरकुॅआ इन्दौर जी0पी0 म0प्र0 के पक्ष में तहसील सरीला के ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड संख्या–25 / 21 रकबा–17.731 हे0 क्षेत्र में वार्षिक मात्रा 2,83,661 घन मीटर खनन हेतु दिनांक–11.11.2024 से 10.11.2029 तक की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), हमीरपुर, उपजिलाधिकारी सरीला, खान अधिकारी हमीरपुर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सरीला द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–22.11.2024 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र में पी0टी0जेड0 कैमरा न लगाये जाने के कारण 12 दिन की शास्ति रु0–3,00,000 / –आरोपित की गयी है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1458 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–30.12.2024 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–12.12.2024 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, थाना प्रभारी निरीक्षक चिकासी, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–15.01.2025 को की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र की जांच नायब तहसीलदार सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर, उपनिरीक्षक थाना चिकासी, राजस्व निरीक्षक सरीला एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–30.01.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा 1125 घन मीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–1732 / खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक– 27.01.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–15,12,500 / – आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–1923 / खनिज– एम0एम0सी–तीस– विविध (2024–25) दिनांक–28.03.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। उपजिलाधिकारी सरीला, क्षेत्राधिकारी सरीला, खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–06.03.2025 को की गयी। जांच में पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किया जाना पाया गया। नदी की जलधारा में खनन कार्य होना नही पाया गया। खान निरीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र की जांच दिनांक–19.04.2025 को की गयी।

——6

जांच में 06 Suction Pump Machine/Lefter द्वारा बालू/मौरम का अवैधानिक तरीके से खनन करते पाये जाने पर उक्त मशीनों को सम्बन्धित थानें की सुपुर्दगी में देते हुये पत्र संख्या–101/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2024–25) दिनांक–19.04.2025 द्वारा अर्थदण्ड रु0–30,00,000/– आरोपित किया गया है। तत्पश्चात पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा न करने के कारण आदेश संख्या–276/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–28.05.2025 द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करते हुये बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् क्षेत्र की जांच ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी प्रयागराज, ज्येष्ठ खान अधिकारी/क्षेत्रीय प्रर्वतन अधिकारी लखनऊ एवं सर्वेक्षक मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक–28.11.2024 से 01.12.2024 तक की गई। जांच में पट्टाधारक द्वारा 300 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया जाना पाया गया, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या–197/खनिज–एम0एम0सी–तीस–विविध (2025–26) दिनांक–07.05.2025 द्वारा रु0–2,70,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

<u>जनपद–बॉदा में आच्छादित खनन क्षेत्रों की आख्या निम्नवत् है:–</u>

1. **मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0–1971/1, ग्राम–गंछा, तहसील व जनपद–बॉदा।**

- मैसर्स ओम ट्रेडर्स, गाटा नं0–1971/1, ग्राम–गंछा, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5134183N दिनांक 08.10.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 223566/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 21.10.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 ओम ट्रेडर्स प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम–मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–गंछा के गाटा सं0–1971/1 रकबा **24.71 एकड़ भूक्षेत्र** में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र दिनांक 28.10.2024 से 27.04.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 27.04.2025 को समाप्त हो चुकी है।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3503 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3946/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,52,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,52,700/– चालान नं0–AKV240025816 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0–AKV240025815 दिनांक 24.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

2. **<u>मैसर्स मयूर बॉक्साईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0–3), ग्राम–पथरी, तहसील व जनपद–बॉदा।</u>**

- मैसर्स मयूर बॉक्साईट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–72/47 का भाग एवं 74/01 का भाग (खण्ड नं0–3), ग्राम–पथरी, तहसील व जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP191707 दिनांक 06.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 204966/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 14.03.2024 से 31.12.2028 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी पता–6 फ्लोर, डी0एन0–24, मैट्रिक्स टॉवर, सेक्टर–5, साल्ट लाके, कोलकाता (वेस्ट बंगाल) हेड ऑफिस पता–कमिश्नर आफिस के सामने, पानी टंकी रोड, कुदुदंड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री मंजीत सिंह गम्बर निवासी–वार्ड नं0–14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल,

——7

आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–पथरी के गाटा सं0–72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं0–03) कुल रकबा 19.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 3373 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3430/खनिज–30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 30,35,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 30,35,700/– चालान नं0–AKV240022184 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2166.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3985/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 19,49,850/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 19,49,850/– चालान नं0–AKV240026036 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 6854.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4755/खनिज–30 बांदा दिनांक 07.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 61,69,050/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 19.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–170/खनिज–30 बांदा दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 61,69,050/– विभिन्न चालान नं0–AKV250012310 दिनांक 24.04.2025 रू0 10,00,000/–, चालान नं0–AKV250013729 दिनांक 08.05.2025 रू0 25,00,000/– व चालान नं0–AKV250013760 दिनांक 08.05.2025 रू0 26,69,050/– द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 36518.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5202/खनिज–30 बांदा दिनांक 18.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,28,66,875/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–299/खनिज–30 बांदा दिनांक 17.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा नोटिस दिनांक 18.03.2025 व स्पष्टीकरण निरस्तीकरण पत्र दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध मा0 न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के अपील सं0–742/2025 योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.05.2025 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

——8

"पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा समय के अन्दर प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः न्यायहित में अपील पंजीकृत की जाती है। स्थगन के संबंध में अपीलकर्ता के कथनों में बल प्रतीत होता है। ऐसी दशा में अग्रिम नियत तिथि तक के लिए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18.03.2025 / 17.04.2025 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। गुणदोष पर निस्तारण हेतु अवर कार्यालय की पत्रावली एवं प्रस्तरवार आख्या तलब की जाये। पत्रावली दिनंक 12.06.2025 को पेश हो।"

उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय पत्र सं0—1011 / खनिज—30 बांदा दिनांक 24.05.2025 द्वारा पत्रावली व प्रस्तरवार आख्या प्रेषित की गयी। पट्टाधारक द्वारा अवैध खनन की कुल धनराशि रू0 3,28,66,875 / — से से आंशिक धनराशि रू0 50,00,000 / — विभिन्न चालानो के माध्यम से जमा किया गया है।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 43696 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के नियम—3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम—1957 की धारा—4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0—667 / खनिज—30 बांदा दिनांक 06.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 3,93,26,400 / — से अवगत कराया गया।

3. **मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा0लि0, गाटा नं0—333 / 7, खण्ड नं0—5, ग्राम—मरौली खादर, तहसील व <u>जनपद—बॉदा।</u>**

- मैसर्स डेस्कान बिल्डटेक प्रा0लि0, गाटा नं0—333 / 7, खण्ड नं0—5, ग्राम—मरौली खादर, तहसील व जनपद—बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC23B001UP162818 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 179001/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल / वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि **21.04.2023 से 31.12.2027** तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद—बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार डेस्कोन बिल्डटेक प्रा0लि0 निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी—128 / 189, के0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम—मरौलीखादर के गाटा सं0—333 / 7 का भाग (खण्ड सं0—05) कुल रकबा 23.00 हे0 भूक्षेत्र में बालू / मोरम का खनन पट्टा दिनांक 03.05.2023 से 02.05.2028 तक स्वीकृत / निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1703 घन मी0 बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4207 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के नियम—3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम—1957 की धारा—4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0—3378 / खनिज—30 बांदा दिनांक 16.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 54,19,000 / — से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 54,19,000 / — को चालान नं0—AKV240021828 दिनांक 16.10.2024 रू0 25,00,000 / — व चालान नं0—AKV240022391 दिनांक 22.10.2024 रू0 29,19,000 / — द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2991.75 घन मी0 बालू / मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के

——9

नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3986/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 26,92,575/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 29,92,575/– को चालान नं0–AKV240026050 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 4371.20 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4470/खनिज–30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,34,080/– से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1150 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4852/खनिज–30 बांदा दिनांक 17.02.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,35,000/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,35,000/– को चालान नं0–AKV250015095 दिनांक 22.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 24203.75 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–183/खनिज–30 बांदा दिनांक 08.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 2,17,83,375/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 05.5.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–1310/खनिज–30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27.06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 7217 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

4. **मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम–मडौली खुर्द खादर, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा।**

- मैसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस प्राइवेट लिमिटेड, गाटा नं0–58, 107, 108, 109, 110, 111, 114, ग्राम–मडौली खुर्द खादर, तहसील–पैलानी, जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B0107UP5972290N दिनांक 15.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 205059/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 15.03.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 15.03.2024 से 31.12.2025 तक है।

——10

- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार मे0 प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा0लि0 निवासी–94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक श्री यदुवंशी विकास सिंह पुत्र श्री यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म0नं0–72 साई नगर फेस–2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम–मडौलीखुर्द खादर के गाटा सं0–58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1651.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3948/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 27,13,500/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 27,13,500/– चालान नं0–AKV240025886 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08. 01.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4569/खनिज–30 बांदा दिनांक 16.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 50,62,050/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया गया। उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने के कारण कार्यालय पत्र सं0–1323/खनिज–30 बांदा दिनांक 13.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण निरस्त कर निस्तारित किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19. 03.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 17298.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5238/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 1,55,68,650/– से अवगत कराया गया।

5. मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं0–पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं0–01, ग्राम–मरौली खादर, जनपद–बॉदा।

- मैसर्स श्री प्रशांत कुमार गुप्ता, गाटा नं0–पार्ट ऑफ 333/7, खण्ड नं0–01, ग्राम–मरौली खादर, जनपद–बॉदा को एस0ई0आई0ए0ए0 के पत्रांक EC24B001UP141265 दिनांक 29.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 209807/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2024 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 से 31.12.2025 तक है।
- यह कि खनन विभाग, जनपद–बॉदा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी–14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में जनपद बॉदा की तहसील बाँदा स्थित ग्राम–मरौलीखादर के गाटा सं0–333/7 का भाग (खण्ड सं0–01) कुल रकबा 17.2802 हे0 भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा दिनांक 05.10.2024 से 04.10.2029 तक स्वीकृत/निष्पादित है।

——11

- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1403 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3431/खनिज–30 बांदा दिनांक 19.10.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 12,62,700/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 12,62,700/– चालान नं0–AKV240022185 दिनांक 19.10.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 2332 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3984/खनिज–30 बांदा दिनांक 26.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 20,98,800/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 20,98,800/– चालान नं0–AKV240026063 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में 1471 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2003 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4454/खनिज–30 बांदा दिनांक 04.01.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 31,26,600/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 31,26,600/– को चालान नं0–AKV250000702 दिनांक 08.01.2025 रू0 15,00,000/– व चालान नं0–AKV250001039 दिनांक 11.01.2025 रू0 16,26,600/– द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19. 05.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1219.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–964/खनिज–30 बांदा दिनांक 22.05.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 10,97,500/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 10,97,500/– चालान नं0–AKV250015906 दिनांक 30.05.2025 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन पट्टे की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27. 06.2025 को की गयी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1804.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में पट्टाधारक को नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. <u>मैसर्स शुद्धतम इण्टरप्राइजेज, गाटा सं0–62 व 63/1, ग्राम–खपटिहाकलां, तहसील पैलानी, जनपद बाँदा ।</u>

- Suddhatam Enterprises प्रो0 श्री मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी–145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में जनपद बाँदा की तहसील पैलानी स्थित ग्राम–खपटिहाकलां के

——12

गाटा सं0–62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़ भूक्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा–पत्र दिनांक 12.11.2024 से 11.05.2025 तक स्वीकृत था, जिसकी अवधि दिनांक 11.05.2025 को समाप्त हो चुकी है।

- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 1101.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–3947/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.11.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 9,91,350/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 9,91,350/– चालान नं0–AKV240025804 दिनांक 24.11.2024 व चालान नं0–AKV240025897 दिनांक 25.11.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र में 3619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 731 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–4382/खनिज–30 बांदा दिनांक 30.12.2024 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 39,65,450/– से अवगत कराया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि रू0 39,65,450/– चालान नं0–AKV240029987 दिनांक 31.12.2024, चालान नं0–AKV240029984 दिनांक 31.12.2024 व चालान नं0–AKV240029990 दिनांक 31.12.2024 द्वारा जमा किया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2078 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–5240/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.03.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 18,70,200/– से अवगत कराया गया।
- प्रश्नगत खनन अनुज्ञा की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.03.2025 को की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर 2875.50 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन होना पाया गया। अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 का उल्लंघन होने की दशा में कार्यालय के पत्र सं0–28/खनिज–30 बांदा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत करते हुये कुल राजस्व की क्षति रू0 25,87,950/– से अवगत कराया गया।
- उक्त खनन पट्टे को कार्यालय अभिलेखानुसार वर्तमान में सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है।

संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त दिये गये सुझाव एवं उपचारात्मक कार्यवाही निम्नवत् हैः–

1. खनन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक खनन पट्टों में खनन विभाग द्वारा जारी जियो को–आर्डिनेट के अनुसार पिलर की स्थापना किया जाये, साथ ही प्रत्येक पट्टाधारक के पास के0एम0एल0 फाईल उपलब्ध हो, जिससे की खनन के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की सम्भावना नगण्य हो।

——13

2. वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु टैंकर से जल का छिड़काव किया जाये एवं मौरम को गीला कर तिरपाल से ढक कर अवागमन हेतु प्रयोग किया जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में लॉग बुक मेन्टेन की जाये।
3. जनपद–हमीरपुर एवं बॉदा में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सघन वृक्षारोण किया जाये, जिसकी प्रगति आख्या एवं विवरण सम्बन्धित विभागो को फोटोग्राफ्स सहित प्रेषित किया जाये।
4. सी0ई0आर0 के मद में आवंटित धनराशि को पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही खर्च किया जाये।
5. जल धारा को अवरोधित किये बिना स्वीकृत खनन क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायें।
6. खनन क्षेत्र में अस्थाई (Bio-Toilet) को स्थापित कर प्रयोग किया जायें।
7. खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु कलर कोड के अनुसार डस्ट बिन स्थापित कर प्रयोग किया जाये एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम् से अपशिष्ट का निस्तारण किया जाये।
8. जनपद में संचालित खनन पट्टो की जांच समय–समय पर अथवा माह में कम से कम एक निरीक्षण अवश्य रूप से कर ली जाए।

डॉ0 माधवी कमलवंशी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

इमरान अली,
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झॉसी

राज रंजन,
खान अधिकारी,
जनपद–बॉदा

राम पदारथ सिंह,
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
जनपद–झांसी

जी0के0 दत्ता,
खान अधिकारी,
जनपद–जालौन

विकास सिंह परमार,
खान अधिकारी,
जनपद–हमीरपुर

अशीष चौधरी,
क्षेत्रीय अधिकारी,
भू–वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
झॉसी

संदीप रॉय,
वैज्ञानिक "घ",
क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ

मा० हरित अधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली मे योजित
ओ० ए० नम्बर - 203/2025 राममिलन बनाम उ०प्र० राज्य
एवं अन्य मे पारित मा० हरित अधिकरण के आदेश
दिनॉक - 27/05/2025 के अनुपालन मे गठित संयुक्त जॉच
समिति द्वारा मा० हरित अधिकरण के आदेश दिनॉक - 27/05/25
मे उल्लिखित खनन क्षेत्रों जनपद - हमीरपुर व जनपद -
बांदा की जॉचँ शिकायतकर्ता श्री राममिलन पुत्र
श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी नि० ग्रा० + पो० - मुस्करा
थाना - मुस्करा तह० - मौदहा जनपद - हमीरपुर की
उपस्थिति मे किया गया, जॉच के समय पाया
गया कि पिछले एक सप्ताह से बरसात हो जाने
के कारण उल्लिखित क्षेत्र जलमग्न हो गये है
~~तथा~~ जलधारा प्रवाहित हो रही है जिसके
कारण कोई भी गड्ढा परिलक्षित नही हो रहा
है और न ही किसी प्रकार की मशीनो से
खनन ही हो रहा है। साथ ही साथ यह
भी अवगत कराना है कि लगभग एक सप्ताह
से बारिश ज्यादा हो जाने के कारण खनन क्षेत्र
तक पहुचने वाले रास्ते भी जलमग्न हो गये
है। साथ ही साथ शिकायतकर्ता श्री राममिलन जी
द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य मे अगर
भारी पोकलेन मशीन या अन्य अनियमितता की
जाती है तो संबंधित विभाग व मा० हरित अधिकरण
को सूचित करेंगें।

[signature]

1/7/2025

बयान

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये शिकायत के क्रम मे गठित संयुक्त समिति के सदस्यो के समक्ष दिनाक–01.07.2025 को वार्ता/पूछताछ मे मेरे द्वारा यह कथन बिना दबाव के स्वच्छ मन से दे रहा हूँ।

1– जनपद जालौन तथा जनपद झांसी के खनन पटटो तथा जनपद जालौन व झांसी के खनन विभाग से मुझे कोई शिकायत नही है।

2– जनपद हमीरपुर के खनन क्षेत्र बेरी खण्ड सख्या–10/6, ग्राम चण्डौत खण्ड सख्या–21/1 एवं ग्राम इछौरा जिटकरी के खण्ड सख्या–25/17, 25/18 एवं 25/21 मे मुझे पोकलेन मशीन चलने तथा उत्पन्न गड्ढो की शिकायत है।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य शिकायत नही है।

प्रार्थी
कुलदीप सिंह [illegible]
73984055 3[illegible]
ता० 1-7-2025